अध्याय II
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए, आर्थिक और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कम्पनी, सरकार/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0) द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार सम्भावित लाभार्थियों की पहचान तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली–राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देयताओं के उन्मोचन के लिए अपर्याप्त थी। 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। अपर्याप्त वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने के कारण, रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण को कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुए। कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाए में थे।

कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना

रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधियों के विमुक्त नहीं किए जाने के कारण इस योजना के अन्तर्गत किसी नए ऋण का संवितरण नहीं किया गया। 49 लाभार्थियों ने, जिनको ₹ 97.58 लाख की शिक्षा ऋण संवितरित की गयी थी, उनके पाठ्यक्रम पूरा होने के बावजूद ऋण का पुनर्भुगतान आरम्भ नहीं किया था।

रा0पि0व0वि0वि0नि0 आवधिक ऋण योजना

वर्ष 2008–13 के दौरान कोई नयी आवधिक ऋण संस्वीकृत नहीं की गयी। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्ष के लिए, कम्पनी द्वारा संवितरित ऋण के विरुद्ध वसूली निराशाजनक थी तथा उसका परास कुल बकाया राशि के 0.21 प्रतिशत तथा 1.26 प्रतिशत के बीच था।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

वर्ष 2008–13 के दौरान, योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ में से केवल ₹ 1.50 करोड़ वितरित किया जा सका। निम्न संवितरण का मुख्य कारण सरकार द्वारा निर्देशों को अंतिम रुप देने में विलम्ब था। कम्पनी ने कुल संवितरण के विरुद्ध केवल ₹ 1.16 लाख वसूल किया।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 5.19 करोड़ की राशि के विरुद्ध, कम्पनी मात्र ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी तथा शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ असंवितरित रही तथा यह मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली की कमी के परिणामस्वरुप ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की वसूली निराशाजनक थी।

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाई0)

299 विद्यार्थियों को उनके अत्यन्त पिछड़ी स्थिति को सत्यापित किए बिना लाभ दिया गया।

कम्पनी द्वारा जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे तथा असंवितरित राशि विभिन्न बैंक खातों में एवं अप्रयुक्त बैंक ड्राफ्ट के रुप में उनके साथ पड़ा हुआ था।

मानव–शक्ति

मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मण्डल के बैठक में प्रभावी ढ़ंग से नहीं निपटाया गया।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। वितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रणाली कम्पनी द्वारा विकसित नहीं की गयी थी।

मूलधन और ब्याज के रूप में वसूली योग्य राशि का ऋणी–वार विवरण दिखाने वाला खाता को ठीक से संधारित नहीं किया गया था और ऋण की वसूली के लिए कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के संबंध में कम्पनी का प्रदर्शन संतोषजनक नही था। विस्तृत योजना तैयार नहीं किए जाने से योजनाओं का तुच्छ क्रियान्वयन हुआ तथा लक्षित लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रह गये।

कम्पनी के कामकाज के संबंध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने तथा निदेशक मंडल के गठन में विलम्ब से परिलक्षित होता है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि निम्न वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निधि की अप्रयुक्तता, निधि की अवरुद्धता और लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांत पाए गए।

संवितरित निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
लाभार्थियों से वसूली के अनुसरण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था। मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया। कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र दोषपूर्ण था।

कम्पनी को लक्षित लाभार्थियों को ऋण निधि के वितरण के लिए एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मण्डल द्वारा प्रभावी ढ़ंग से निपटाया जाना चाहिए, एवं कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियन्त्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

परिचय

2.1.1 राज्य में पिछड़ा वर्ग[1] (पि0व0) के सदस्यों के लाभ के लिए आर्थिक तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण और अग्रिम उपलब्ध कराकर, आर्थिक तथा विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने जून 1993 में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) की स्थापना की। यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ न कमाने वाली सरकारी कम्पनी है। 31 मार्च 2013 को, कम्पनी की प्रदत्त पूँजी ₹ 20.36 करोड़ थी। कम्पनी, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त, कम्पनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा0पि0व0वि0वि0नि0[2]), के ऋण देने, प्रशिक्षण और अन्य योजनाओं के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरण (एस0सी0ए0) के रूप में भी काम करती है।

2008–13 की अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना एवं भारत सरकार की रा0पि0व0वि0वि0नि0 की आवधिक ऋण और शिक्षा ऋण योजना सम्मिलित था।

कम्पनी का प्रशासनिक विभाग लक्षित लाभार्थियों के लाभ के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के मार्गदर्शिका तय करने एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि तय करने, समय–समय पर पिछड़े वर्ग के सदस्यों को अधिसूचित करने, रा0पि0व0वि0वि0नि0 से कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी विस्तारित करने, कम्पनी को बजटीय सहायता देने, कम्पनी को विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए निधियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की माँग, इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। रा0पि0व0वि0वि0नि0 की योजनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा तैयार किए जाते हैं। कम्पनी, सरकार/ रा0पि0व0वि0वि0नि0 के द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शिका और निर्देशों के अनुसार संभावित लाभार्थियों की पहचान करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी का प्रबंधन 10 निदेशकों से मिलकर बने निदेशक मण्डल में निहित है। मार्च 2013 को निदेशक मंडल में सात सरकारी निदेशक थे और गैर सरकारी निदेशकों के तीन पद रिक्त थे। अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी का अपना निदेशक मंडल नहीं था। प्रबंध निदेशक, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के संचालन में इन्हें अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चूँकि कम्पनी की जिला स्तर पर अपनी स्थापना नहीं है, अतः कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के जिला कल्याण कार्यालय, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं जिला शिक्षा कार्यालय (जि0शि0कार्या0)[3] के माध्यम से योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है।

---

[1] पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मिलित है जैसा कि बिहार सरकार के गजट नोटिफिकेशन (32/1992 और समय समय पर संशोधित) में वर्णित है।

[2] यह सामाजिक न्याय तथा मंत्रालय के अधीन एक शीर्षस्थ निगम है जो राज्य वितरण अभिकरणों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए उत्तरदायी है।

[3] क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सामाजिक कल्याण विभाग/शिक्षा विभाग के अन्तर्गत।

कम्पनी के सम्बन्ध में ''उद्देश्य की अप्राप्ति'' पर एक दीर्घ कंडिका 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित किया गया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य–प्रणाली

2.1.2 वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में 2008–13 की अवधि में कम्पनी की ''वित्त एवं वसूली गतिविधियों'' को शामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, जून 2013 से अगस्त 2013 की अवधि में प्रशासनिक विभाग और कम्पनी का मुख्यालय कार्यालय के साथ ही जिला कल्याण कार्यालयों, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई। राज्य के 38 जिलों जहाँ योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं, में से दस जिलों[4] (26 फीसदी) का रैण्डम सैम्पलिंग आधार पर चयन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों के बारे में सरकार और प्रबन्धन को अवगत कराने के लिए 31 मई 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के क्रम में कार्य पद्धतियों के एक मिश्रण को अपनाया गया जिसमें अभिलेखों की जाँच कम्पनी के मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से संग्रहित साक्ष्यों का विश्लेषण एवं दस्तावेजीकरण, निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्य सूची की समीक्षा, सरकार और रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी निर्देशों तथा मार्गदर्शिकाओं तथा सूचनाओं के लिए लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करना तथा प्रबन्धन से विचार विमर्श सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कम्पनी को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2013)। निकास सम्मेलन 28 नवम्बर 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने भाग लिया, जो कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के प्रभार में भी थीं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न के आकलन के उद्देश्य से किया गया था कि :

- कम्पनी द्वारा योजनाओं का उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना/वार्षिक कार्य योजना, रा0पि0व0वि0वि0नि0 और राज्य सरकार द्वारा निधि के आवंटन को देखते हुए तैयार किया गया था;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन प्रभावी था और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का समयबद्ध ढंग से प्रभावी उपयोग किया जा रहा था;
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक कुशल प्रणाली मौजूद थी और कम्पनी के पास लाभार्थियों का डाटा बेस था;
- योजनाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया और वसूली निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए थे;
- सरकार/कम्पनी द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली तैयार की गई थी;
- समय पर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए और चूक के मामले में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में थी; तथा

---

[4] अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, पटना, समस्तीपुर, सारण और सिवान।

- कम्पनी में पर्याप्त मानव–शक्ति और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड थे :

- ऋण/वित्तीय सहायता के संवितरण के लिए सरकार एवं रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश;
- लक्षित लाभार्थियों के उत्थान हेतु राज्य/केन्द्र सरकार एवं रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा तय की गई नीति/ रूपरेखा /मानदण्ड/दिशा–निर्देश;
- वित्तीय सहायता एवं ऋणों के संस्वीकृति एवं संवितरण हेतु तय की गई कार्यविधि; एवं
- संवितरण उपरान्त अनुश्रवण एवं वसूली हेतु निर्धारित कार्यविधि।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.5 लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

योजना

रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं होना

2.1.6 मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में वर्णित उद्देश्यों के पूरा करने के दृष्टिकोण से कम्पनी को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण के अनुसार योजना अथवा लक्ष्य तय करना तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तृणमूल स्तरों से संग्रहित आवधिक आँकड़ों के आधार पर सुनियोजित कार्य योजना की तैयारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के पहचान के लिए रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य वितरण अभिकरण को उन क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान शिविर लगाने चाहिए जहाँ पिछड़े–वर्ग की जनसंख्या ज्यादा हो तथा पहले से रा0पि0व0वि0वि0नि0 की योजनाओं का कार्यान्वयन न हुआ हो।

हमने पाया कि कम्पनी ने न तो कोई रणनीतिक योजना तैयार की थी और न प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर लक्षित लाभार्थियों के डाटा–बेस का रख–रखाव किया था। इस की परिणति योजनाओं के खराब कार्यान्वयन में हुई और लक्षित लाभार्थियों को वांछित लाभ नहीं मिल सका, जिसकी चर्चा कंडिका 2.1.10 से 2.1.16 में की गई है।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी के पास अपना जिला स्तरीय ढाँचा नहीं था तथा यह मानव–शक्ति की कमी एवं निधि की कमी झेल रहा था जिसके कारण रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं हुई।

वार्षिक कार्य योजना (वा0का0यो0)

2.1.7 विभिन्न योजनाओं के लिए रा0पि0व0वि0वि0नि0 से ऋण प्राप्त करने के लिए, कम्पनी द्वारा वार्षिक कार्य योजना रा0पि0व0वि0वि0नि0 के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा कम्पनी को संस्वीकृत ऋण का संवितरण वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन होने पर किया जाता है जिसके लिए

कुछ शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है जिनमें शामिल हैं, कम्पनी द्वारा सामान्य ऋण अनुबन्ध का निष्पादन, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त गारंटी की उपलब्धता, विमुक्त निधियों के उपयोग का संतोषजनक स्तर तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के देय राशि का पुनर्भुगतान, नियत आहरण के लिए लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी किया जाना, इत्यादि।

हमने प्रेक्षित किया कि रा0पि0व0वि0वि0नि0 को समर्पित वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव अभीष्ट लाभार्थियों की संख्या तथा निधियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तदर्थ आँकड़ों पर आधारित थे क्योंकि कम्पनी ने कोई सर्वेक्षण का आयोजन नहीं किया था तथा अंचल व जिला स्तर पर आँकड़े संकलित नहीं किया था जो शहरी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण को दर्शाने के लिए था।

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन

2.1.8 कम्पनी राज्य सरकार से बजटीय समर्थन, राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी को आवंटित निधि और रा0पि0व0वि0वि0नि0 से ऋण सहायता के माध्यम से वित्त पोषित होती है। कम्पनी ने अपनी ऋण देने की गतिविधियों से 2.5 से तीन फीसदी तक के ब्याज आय का सृजन करती है। वर्ष–वार प्राप्ति और भुगतान/संवितरण की स्थिति नीचे की तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका सं0: 2.1.1

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की वर्ष–वार प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ लाख में)

विवरण			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	कुल
प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक शेष		**28.35**	**431.96**	**558.39**	**1016.58**	**2179.51**	
	रा0पि0व0वि0वि0नि0		45.95	28.78	18.00	3.49	–	**124.57**[5]
	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	अंश पूँजी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**500.00**
		मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना	–	900.00	2800.00	7194.34	–[6]	**10894.34**
	समाज कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना	130	–	16.00	8.00	192.00	**346.00**
		मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना	195.00	–	24.00	12.00	288.00	**519.00**
	वसूली		19.13	37.42	17.26	28.51	17.16	**119.48**
कुल प्राप्तियाँ			518.43	1498.16	3533.65	8362.92	2776.67	**12503.39**
संवितरण	शिक्षा ऋण		53.84	25.29	8.83	0.45	–	**88.41**
	प्रशिक्षण		3.78	–	7.56	–	–	**11.34**
	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना		–	858.20	1902.10	6004.70	2126.50	**10891.50**
	मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना		–	22.22	49.56	47.30	30.63	**149.71**

[5] ₹ 28.35 लाख का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित। इसमें 2008–09 के पूर्व संस्वीकृत शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि (2008–09 में ₹ 40.00 लाख, 2009–10 में ₹ 25.00 लाख) भी शामिल है। शेष राशि 13.22 लाख (2008–09 में ₹ 5.95 लाख, 2009–10 में ₹ 3.78 लाख और 2011–12 में ₹ 3.49 लाख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हुई थी।

[6] 2012–13 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वयं जिला कल्याण कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए कोई प्राप्ति नहीं है।

विवरण		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	कुल
	मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना	–	–	46.10	118.30	24.25	**188.65**
	रा0पि0व0वि0वि0नि0 को पुनर्भुगतान/वापसी	28.85	34.06	502.92[7]	12.66	35.43[8]	**613.92**
कुल संवितरण		**86.47**	**939.77**	**2517.07**	**6183.41**	**2216.81**	**11943.53**
अंत शेष		**431.96**	**558.39**	**1016.58**	**2179.51**	**559.86**	

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

हमने पाया कि :

- कम्पनी का संवितरण गतिविधि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के अन्तर्गत धनराशि के वितरण में केंद्रित था जबकि ऋण योजनाओं[9] के लिए ऋण गतिविधि मध्यम थी;
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का प्रारम्भिक शेष बढ़ती प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि प्राप्त निधियाँ समय पर उपयोग नहीं की जा रही थीं और कम्पनी द्वारा सावधि जमा के अन्तर्गत निधियों को रखकर उनपर ब्याज अर्जित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा योजना–वार बैंक खाते संधारित नहीं किए गए थे;
- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी ने निःशक्तजनों की योजनाओं के लिए ₹ 8.65 करोड़[10] प्राप्त किए थे जिसमें से ₹ 5.27 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। निधि के प्रयोग न होने का मुख्य कारण संबंधित विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिशा–निर्देशों की तैयारी में हुआ विलम्ब था जैसा कि कंडिका 2.1.13 और 2.1.14 में टिप्पणी की गई है;

कम्पनी का वसूली निष्पादन निराशाजनक तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के उत्तरदायित्वों का उन्मोचन करने में अपर्याप्त था

- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी की वसूली प्रदर्शन निराशाजनक थी एवं वसूल की गयी राशि रा0पि0व0वि0वि0नि0 की देनदारियों का उन्मोचन करने के लिए अपर्याप्त थी। परिणामस्वरुप, 2010–11 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के निधि (अंश पूँजी) से किया गया था। कम्पनी की निम्न वसूली और रा0पि0व0वि0वि0नि0 ऋण के विरुद्ध निम्न पुर्नभुगतान के कारण रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने ₹ 114.39 करोड़ की संस्वीकृत ऋण कम्पनी को विमुक्त नहीं किया जिससे योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई, जैसा कि कंडिका 2.1.11 तथा 2.1.12 में चर्चा की गई है;
- कम्पनी की गतिविधि का विस्तार वर्ष 2000 में संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन से पूर्व झारखण्ड के क्षेत्र तक फैला हुआ था। तथापि, पुनर्गठन के बाद भी कम्पनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विभाजन इन दो राज्यों के बीच नहीं हुआ था (सितम्बर 2013)।

---

[7] इसमें कम्पनी द्वारा अपने अंश पूँजी से रा0पि0व0वि0वि0नि0 को ₹ पाँच करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है।

[8] इसमें सामान्य ऋण योजना के अन्तर्गत 2010–11 में प्राप्त राशि ₹ 18 लाख की वापसी सम्मिलित है।

[9] राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना तथा भारत सरकार की रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना।

[10] मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना (₹ 3.46 करोड़), मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना (₹ 5.19 करोड़)।

- वर्ष 1997–99 के दौरान कम्पनी ने समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार से पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों/छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 14,07 करोड़ की राशि प्राप्त किया था। कम्पनी ने ₹ 0,27 करोड़ खर्च किया जिसका विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा को समर्पित नहीं किया गया। यह प्रेक्षित किया गया कि समाज कल्याण विभाग के निर्देश पर (जनवरी 2003), कम्पनी के द्वारा ₹ आठ करोड़ वापस कर दिया गया। शेष ₹ 5,80 करोड़ की निधि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ा हुआ था (अक्टूबर 2013)। इस प्रकार, निधि का उपयोग अभिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि ₹ 5,80 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा रहा और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रेक्षित किया कि न तो कम्पनी ने इस संबंध में विभाग की राय माँगी और न ही विभाग द्वारा इसके उपयोग के लिए पहल की गयी।

- चूँकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत, (लाभ न कमानेवाली कम्पनी के रूप में), पंजीकृत थी, यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26) (ख) के अन्तर्गत कर से मुक्त है और इस तरह सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) से मुक्त था। हमने प्रेक्षित किया कि 2010–12 की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज के विरुद्ध स्रोत पर कर की कटौती कर ली गई थी क्योंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार टी0डी0एस0 से छूट के संबंध में बैंक को अपनी स्थिति बताने में विफल रहा था। इस प्रकार कम्पनी द्वारा संबंधित बैंक को विशेष निर्देश न देने के कारण ₹ 34,49 लाख की निधि अवरुद्ध हो गई थी।

  प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2013) कि कटौती के विरुद्ध फॉर्म 16ए प्रस्तुत करने के लिए बैंक को एक शिकायत दर्ज कराई गई थी।

लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

2.1.9 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 और 216 के साथ पठित धारा 210 के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर कम्पनी की लेखों को अंशधारियों की वार्षिक आम बैठक में लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियाँ सहित) के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

कम्पनी के लेखे वर्ष 1998–99 से बकाया थे

हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के लेखे विगत 14 वर्षो से 1998–99 से बकाया थे। विलम्ब का कारण मुख्य रूप से अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी के निदेशक मण्डल का गठन न होना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने निगमन (1993–94) के आठ साल बाद 2001–02 में लेखों को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया था।

लेखों का अन्तिमीकरण न होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश और व्यय का ठीक से लेखांकन किया गया था और निधि का निवेश जिस उद्देश्य के लिए किया गया उसे प्राप्त किया गया था या नही| इसके अतिरिक्त लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखाधड़ी और लोक–धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है।

कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

2.1.10 ऋण देने की गतिविधियों के अन्तर्गत, कम्पनी ने 2008–13 की अवधि में रा0पि0व0वि0वि0नि0 की शिक्षा ऋण एवं सावधिक ऋण योजनाओं (भारत सरकार) तथा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना कार्यान्वित किया था।

रा0पि0व0वि0वि0नि0 शिक्षा ऋण योजना

2.1.11 रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा शिक्षा ऋण योजना पिछड़े वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनकी वार्षिक आय दुगुनी गरीबी रेखा (₹42,412) के नीचे है, के लाभ के लिए बनाई गई है। यह शैक्षणिक अवसरों के बेहतरी तथा शिक्षा (सामान्य, व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम) के लिए रियायती ब्याज दर (चार प्रतिशत वार्षिक दर) पर ऋण देकर किया जाता था। अधिकतम स्वीकार्य ऋण ₹ तीन लाख की अधिकतम/प्रतिवर्ष ₹ 75000 की सीमा शर्त के साथ शिक्षा की लागत का 90 प्रतिशत था। पूरा ऋण पाँच साल की अवधि के भीतर समान मासिक किश्तों (ई0एम0आई0) में भुगतेय था। पुर्नभुगतान लाभार्थी के रोजगार प्राप्ति के तीन महीने के बाद या स्वरोजगार के मामले में छः महीने के बाद आरम्भ किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी द्वारा निम्न वसूली तथा रा0पि0व0वि0वि0नि0 के ऋण का पुर्नभुगतान नहीं करने के कारण रा0पि0व0वि0वि0नि0 ने 27254[11] लक्षित लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत ऋण ₹ 114.39 करोड़ विमुक्त नहीं किया। परिणामस्वरुप वर्ष 2008–13 में कम्पनी द्वारा कोई नया शिक्षा ऋण संस्वीकृत नहीं किया जा सका। फिर भी 2008–13 की अवधि में शिक्षा ऋण के संवितरण के लिए कम्पनी के पास उपलब्ध ₹ 0.90 करोड़[12] की राशि में से ₹ 0.89 करोड़ की राशि केवल उन छात्रों के लिए ऋण किश्तों के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जिनके साथ वित्त वर्ष 2008–09 के पहले समझौता किया गया था।

वर्ष 2011–12 तक इस योजना के अन्तर्गत संवितरित ₹ 1.89 करोड़[13] के कुल ऋण के विरुद्ध वसूली मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, मात्र ₹ 30.89 लाख थी। हमने प्रेक्षित किया कि :

अनुश्रवण तंत्र के मौजूद नहीं होने के कारण ₹ 0.98 करोड़ के ऋण की राशि आरंभ नहीं की जा सकी

- ऋण प्राप्तकर्त्ताओं/विद्यार्थियों के साथ किए गए शिक्षा ऋण के लिए अनुबन्ध की उपवाक्य 16 के अनुसार छात्रों का कर्त्तव्य था कि जैसे ही वह पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद रोजगार प्राप्त करता है यथासमय कम्पनी को प्रतिवेदित करें। हालांकि हमने प्रेक्षित किया कि लाभार्थियों ने पाठ्यक्रम के पूरा होने और उसके बाद रोजगार के बारे में कम्पनी को सूचित नहीं किया तथा कम्पनी ने भी इस संबंध में ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के रोजगार/स्वरोजगार के संबंध में जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था, जो ऋण वसूली प्रबंधन के अभाव को इंगित करता है। परिणामस्वरुप 2006–10 के दौरान 49 लाभार्थियों को संवितरित ₹ 0.98 करोड़ के शिक्षा ऋण राशि की वसूली के लिए लाभार्थियों/माता–पिता/जमानतदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की जा सकी।

---

[11] रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा संस्वीकृत लाभार्थियों की संख्या।

[12] अप्रैल 2008 को अप्रयुक्त राशि का आरम्भिक शेष ₹ 24.71 लाख, 2008–09 में ₹ 40 लाख और 2009–10 में ₹ 25 लाख।

[13] इसमें 2008–09 के पूर्व वितरित ₹ एक करोड़ और 2008–12 के दौरान क्रमवार किश्तों के लिए वितरित ₹ 0.89 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि दोषी लाभार्थियों के विरुद्ध कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया था लेकिन शीघ्र भुगतान के लिए लाभार्थियों और उनके जमानतदार को स्मार–पत्र जारी किया जा रहा था। यद्यपि, इस तरह का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

रा0पि0व0वि0वि0नि0 आवधिक ऋण योजना

2.1.12 आवधिक ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता दुगुनी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों जैसा कि सरकार से विर्निदिष्ट है, हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से संभाव्य उद्यमों के लिए उपलब्ध था। इस योजना के अन्तर्गत, परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक छः प्रतिशत ब्याज दर से अधिकतम ₹ पाँच लाख प्रति लाभार्थी, ऋण दिया जा सकता है। पूरा ऋण स्थगन काल सहित अधिकतम दस वर्षो की अवधि में चुकाया जाना था।

हमने प्रेक्षित किया कि रा0पि0व0वि0वि0नि0 द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण, 2008–13 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत कोई नया ऋण स्वीकृत नहीं किया गया था। वर्ष 2008–09 के पूर्व संवितरित ऋण के विरुद्ध निम्नलिखित वसूली की गई।

तालिका सं0: 2.1.2

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	बकाया राशि (मूलधन)	वर्ष के दौरान वसूली	बकाया राशि की तुलना में वसूली का प्रतिशत
2008–09	2788.16	16.85	0.60
2009–10	2771.31	35.02	1.26
2010–11	2736.29	11.19	0.41
2011–12	2725.10	17.43	0.64
2012–13	2707.67	5.73	0.21

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

लाभार्थियों के खातों का रख–रखाव नहीं होने/अद्यतन नहीं होने की परिणति बकाया ऋण के निम्न वसूली में हुई

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की अवधि में 2008–09 से पूर्व संवितरित ऋण के विरुद्ध कम्पनी द्वारा वसूली बहुत निराशाजनक थी। नमूना जाँच किए गए जिलों[14] में पाया गया कि अभिलेखों/संचिकाओं/पंजियों का संधारण नहीं किया गया था तथा लाभार्थियों के खातों को अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, बकाया ऋण की वसूली के लिए काई प्रभावी अनुसरण नहीं था।

प्रबन्धन (अक्टूबर 2013) ने कहा कि ऋण पुनर्भुगतान लाभार्थियों द्वारा जिलों के कार्यालयों में किया जा रहा था और जिलों के जिलाधिकारियों/जिला कल्याण कार्यालयों के साथ पत्राचार के माध्यम से वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

हमने आगे पाया कि :

- जिला कल्याण कार्यालय, दरभंगा में 233 लाभार्थियों को संवितरित ₹ 1.25 करोड़ की राशि में से 74 ऋणियों ने आठ साल से अधिक की अवधि के बीतने के बाद भी किसी भी किश्त का भुगतान नहीं किया था। नमूना जाँच किए गए अन्य जिलों[15] में ऋण के सम्बन्ध में वांछित

[14] समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण एवं सिवान।
[15] समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण, गया एवं सिवान।

अभिलेखों/संचिकाओं/पंजियों के संधारण न होने के कारण वसूली की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने, तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों/टिप्पणियों के अनुसार संबंधित जिला कल्याण कार्यालय से आवश्यक अनुपालन के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

- सभी 10 नमूना जाँच की गई जिला कल्याण कार्यालयों में, लाभार्थियों से ऋण का भुगतान न करने के मामले में 2008–13 की अवधि में चूककर्त्ताओं को वसूली नोटिस/स्मार–पत्र जारी नहीं किए गए और न जमानतदारों, जो सरकारी कर्मचारी थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि चूककर्त्ताओं को और लाभार्थियों के जमानतदारों को भी नोटिस/स्मार–पत्र जारी किया गया था। परन्तु ऐसा कोई अभिलेख सभी 10 नमूना जाँच किए गए जिला कार्यालयों में लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया।

- लखीसराय को छोड़कर, जहाँ वसूली 72.7 प्रतिशत था, सभी जिलों में ऋण वसूली का प्रतिशत बहुत निम्न था और वसूली का परास शून्य से 38.5 प्रतिशत के बीच रहा था। । इसके अतिरिक्त पाँच[16] जिलों में वसूली का परास शून्य प्रतिशत से 7.77 प्रतिशत के बीच रहा।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी द्वारा वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

- पाँच[17] जिला कल्याण कार्यालयों द्वारा ऋण के विरुद्ध वसूल की गई ₹ 18.59 लाख की राशि कम्पनी को प्रेषित नहीं की गयी तथा दो से लेकर पाँच वर्षों तक, उन लोगों के पास पड़ी थी, जो कम्पनी की वसूली प्रणाली पर आंतरिक नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि इस मामले में तत्काल प्रेषण के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण कार्यालय के साथ पहल की जा रही है।

- बिहार राज्य के विभाजन के पूर्व, कम्पनी द्वारा झारखण्ड में वितरित ₹ 4.85 करोड़ की राशि अभी तक वसूलनीय थी (सितम्बर 2013)।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना

2.1.13 मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना, राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को आम जीवन जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 के दौरान आरम्भ की गई थी। कम्पनी कार्यान्वयन एजेंसी थी। इस योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए राज्य के विकलांग छात्रों को ₹ पाँच लाख तक के ऋण प्रतिवर्ष चार प्रतिशत की ब्याज दर पर संस्वीकृत किया जा सकता था। ऋण का पुनर्भुगतान पाठ्यक्रम के पूरा होने से एक साल के बाद या रोजगार प्राप्ति से छः महीने बाद, जो पहले हो, से आरम्भ किया जाना था। यह योजना समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू

[16] अररिया, जमुई, बाँका, अरवल एवं शिवहर।

[17] बक्सर, दरभंगा, गया, सारण एवं सिवान।

किया जाना था। मार्च 2013 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की अवधि में एक आवर्ती निधि के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹ 3.46 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से ₹ 1.50 करोड़ की राशि 102 लाभार्थियों को संवितरित की गई थी। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के पाँच वर्षों में योजना के अन्तर्गत प्राप्त निधियों और उसके उपयोग का विवरण नीचे दी गई है:

तालिका सं0: 2.1.3

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्त निधि	संवितरित ऋण	वसूली
2008–09	130.00	–	–
2009–10	–	22.22	–
2010–11	16.00	49.56	–
2011–12	8.00	47.30	0.20
2012–13	192.00	30.63	0.96
कुल	**346.00**	**149.71**	**1.16**

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

हमने इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई :

- सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिका प्रेषित किए बिना ₹1.30 करोड़ की निधि विमुक्त कर दी (अप्रैल 2008)। समाज कल्याण विभाग ने मार्गदर्शिका को जुलाई 2009 में अन्तिम रूप दिया। मार्गदर्शिका के अभाव में 2008–09 की अवधि में कोई संवितरण नहीं किया गया।

- इसके अतिरिक्त, 2012–13 में, प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति (1 मई 2012 से 26 फरवरी 2013 की अवधि में) के कारण ₹ 1.92 करोड़ में से केवल ₹ 30.63 लाख संवितरित किए गए यद्यपि यह राशि अप्रैल 2012 में प्राप्त हो गई थी।

- 102 लाभार्थियों में से 26 लाभार्थियों को संस्वीकृत सहायता के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि सात लाभार्थियों के मामले में 2010 और 2011 के बीच के शैक्षणिक सत्र के अन्तिम चरण सितम्बर 2009 तथा अप्रैल 2011 के बीच ऋण संस्वीकृत की गई।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण मुख्यतः योजना के मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देने में विलम्ब था। कम्पनी के उत्तर से स्वतः स्पष्ट होता है कि वहाँ योजना के कार्यान्वयन के लिए, कार्य योजना का अभाव था।

₹ 1.50 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध वसूली मात्र ₹ 1.16 लाख थी

- वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 1.50 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध कुल वसूली मात्र ₹ 1.16 लाख थी। यह पाया गया कि ऋण की समय पर वसूली के लिए कोई अनुश्रवण तंत्र विकसित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप 18 लाभार्थियों, जिन्हें ₹ 24.56 लाख शिक्षा ऋण की राशि संवितरित की गयी थी और जिनका पाठ्यक्रम 2009–12 के दौरान पूरा किया गया था, से कोई वसूली आरम्भ नहीं की गयी थी।

  प्रबन्धन/सरकार ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2013) कि आवश्यक अनुश्रवण और वसूली तंत्र स्थापित किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना

2.1.14 मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना का आरम्भ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया गया था, योजना के अन्तर्गत ₹ 1.50 लाख तक के ऋण का प्रावधान था। ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद या लाभार्थी द्वारा व्यापार के प्रारंभ से छः महीने के बाद, जो भी पहले हो, आरम्भ किया जाना था। यह योजना भी समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत ₹ 5.19 करोड़ की राशि की प्राप्ति के विरुद्ध कम्पनी केवल ₹ 1.89 करोड़ संवितरित कर सकी थी और शेष राशि ₹ 3.30 करोड़ मार्च 2013 तक कम्पनी के पास अवितरित पड़ी थी। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 के पाँच वर्षों के दौरान निधियों की प्राप्ति और उनके वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका सं0: 2.1.4

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्त निधि	वितरित ऋण	वसूली
2008–09	195.00	–	–
2009–10	–	–	–
2010–11	24.00	46.10	–
2011–12	12.00	118.30	0.05
2012–13	288.00	24.25	1.16
कुल	**519.00**	**188.65**	**1.21**

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

अभिलेखों की जाँच के दौरान संवितरण में निम्नलिखित त्रुटियाँ उद्घाटित हुईं :

कम्पनी ने लक्षित लाभार्थियों के लिए योजना जो उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता हो, को लागू करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं किया। यह प्रेक्षित किया गया कि 38 में से 11 जिलों में ऋण संवितरित नहीं किया गया था।

- हमने पाया कि 26 लाभार्थियों की एक सूची ऋण की स्वीकृति और अनुमोदन हेतु सिवान जिले से कम्पनी मुख्यालय को भेजा गया था, लेकिन तीन साल व्यपगत होने के बावजूद कम्पनी द्वारा न तो उनके प्राप्ति की पुष्टि की गई थी और न ही कार्रवाई की गई थी।

- समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना को कार्यान्वित करने के लिए बिना किसी मार्गदर्शिका के मार्च 2008 में निधि उपलब्ध करायी गयी थी। तथापि, जुलाई 2009 में मार्गदर्शिका की प्राप्ति के बाद भी, लाभार्थियों को निधि का संवितरण नौ महीने विलम्ब से अप्रैल 2010 में किया गया। इससे निधि का संवितरण प्रारम्भ करने में असामान्य विलम्ब हुआ।

- यह भी प्रेक्षित किया गया कि ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय का परास छः महीने से 26 महीने तक था।

  प्रबन्धन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अभिलेखन में विलम्ब को प्राथमिकता के आधार पर जाँच किया जाएगा।

नियंत्रण प्रणाली के अभाव के कारण ₹ 1.89 करोड़ के संवितरण के विरुद्ध ₹ 1.21 लाख की निम्न वसूली हुई

- मार्गदर्शिका में प्रावधान के बावजूद तीन[18] सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा इस योजना के लिए अलग से कोई बचत बैंक खाता संचालित/खोला नहीं गया था। अररिया और बेतिया को छोड़कर किसी भी जिले में अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के सम्बन्ध में ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' भी प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्ति तीन[19] जिलों की जाँच परीक्षा में पाया गया कि ऋण के समुचित उपयोग की पुष्टि करने के लिए इकाईयों का सत्यापन नहीं किया गया था और न चार[20] जिलों में कार्यालयों द्वारा पोस्ट डेटेड चेक प्राप्त किया गया था। साथ ही इन कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों का ऋण खाता–बही भी संधारण नहीं किया गया था। ये त्रुटियाँ उचित नियंत्रण–प्रणाली के अभाव को प्रदर्शित करती हैं। परिणामस्वरुप, 2008–13 की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 1.89 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध, उपर्युक्त अवधि में वसूली निराशाजनक थी और मात्र ₹ 1.21 लाख (0.64 प्रतिशत) थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता

2.1.15 ऋण देने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के अतिरिक्ति, कम्पनी 2008–13 की अवधि में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी थी। संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना (एम0एम0ए0पी0वी0एम0वाई0)

2.1.16 मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना वर्ष 2008–09 में राज्य सरकार द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग[21] के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। कथित योजना स्थाई रूप से बिहार के रहने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक छात्र जिसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है को सहायता के रूप में ₹ 10,000 के भुगतान का प्रावधान करती है। कम्पनी द्वारा योजना जिला कल्याण कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था और राशि का संवितरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाना था। लाभार्थियों की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी की जाती थी जिसे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजा जाता था और इस सूची के आधार पर कम्पनी द्वारा वितरण करवाया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत छात्रों की सूची जिन्हें राशि वितरित की जानी थी, जिला कल्याण कार्यालयों (डी0डब्ल्यू0ओ0) द्वारा पुष्टि के शर्त्त पर थी कि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्य हों। 2008–13 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से कम्पनी ने 1,08,940 विद्यार्थियों के लिए ₹ 1,08.94 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें से ₹ 108.91 करोड़ 1,08,915 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों को संवितरित की गई थी।

---

[18] पटना, गया और बक्सर (₹39.60 लाख संवितरित राशि)।
[19] समस्तीपुर, दरभंगा और भोजपुर।
[20] समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर और सारण।
[21] राज्य सरकार के राजपत्रित अधिसूचना की अनुसूची–I में वर्णित जातियाँ।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित त्रुटियाँ उद्घाटित हुईं :

299 अयोग्य लाभार्थियों को ₹ 29.90 लाख की सहायता दी गई

- कम्पनी/विभाग के निर्देश[22] के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दिए जाने से पहले जिला कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के होने का सत्यापन करना आवश्यक था। लाभार्थियों के अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी स्थिति के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि चार[23] जिलों में ₹ 29.90 लाख की सहायता 299 अयोग्य लाभार्थियों को स्वीकृत/संवितरित की गई थी, जो कि योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए योग्य नहीं थे क्योंकि वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग समुदाय के नहीं थे।

निधि के संवितरण के विरुद्ध जिला कल्याण कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया

- कम्पनी ने इस योजना के अन्तर्गत ₹ 108.91 करोड़ के कुल संवितरण के विरुद्ध ₹ 93.73 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में 38 जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों से लाभार्थियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया था। कम्पनी ने इस मामले का जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों[24] से प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं किया।

- जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय अप्रयुक्त राशि लौटाने में तत्पर नहीं थे और असंवितरित राशियों को विभिन्न बैंक खातों में रखा तथा बैंक ड्राफ्टों को रोके रखा। जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों के पास ₹ 1.86 करोड़ की राशि एक से चार वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों द्वारा वापस की गई ₹ 5.38 करोड़ की असंवितरित राशि, कम्पनी के पास विभिन्न बैंक खातों में पड़ी थी और इस तरह 53,800[25] लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुँचाया जा सका। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा विभाग को असंवितरित राशि वापस नहीं की गयी थी।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि 16 जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिए गए थे। कम्पनी का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि कम्पनी द्वारा उचित ढंग से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, किस राशि/अवधि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ इस पर उत्तर मौन था। आगे यह कहा गया कि कम्पनी जिला कल्याण कार्यालयों/जिला शिक्षा कार्यालयों के पास पड़ी हुई असंवितरित राशि लगातार वापस प्राप्त कर रही थी। हमने पाया कि जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय पाँच से 35 महीनें की अवधि के बाद असंवितरित राशि लौटा रहे थे।

---

[22] कम्पनी द्वारा राशि की विमुक्ति के समय जिला कल्याण कार्यालयों को जारी निर्देश।

[23] पूर्णिया, गया, भागलपुर और बक्सर।

[24] जिला कल्याण कार्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय।

[25] ₹ 5.38 करोड़ (असंवितरित राशि/बैंक ड्राफ्ट)÷ ₹ 10,000 (योजना के अन्तर्गत एक विद्यार्थी को दिए जाने वाले सहायता की राशि) = 53,800 विद्यार्थी/लाभार्थी।

मानव–शक्ति

मानव–शक्ति की कमी ने कम्पनी के कार्यकलाप को प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित किया तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा प्रभावी रुप से नहीं सुलझाया गया

2.1.17 कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था और 30 अधिकारियों (सात प्रबंधकीय एवं 23 अधीनस्थ पद) के स्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में 15 (पाँच प्रबंधकीय एवं 10 अधीनस्थ पद) पद रिक्त पड़े थे; इस प्रकार कार्यबल में 50 प्रतिशत की कमी थी। मानव–शक्ति की कमी के कारण, कम्पनी अपना जिला स्तरीय ढाँचा स्थापित करने की स्थिति में नहीं थी। कम्पनी ने जिला स्तर के कार्यालयों के स्तर पर स्वीकृत मानव–शक्ति निर्धारित नहीं किया था। मानव–शक्ति की कमी का मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रभावी रूप से सुलझाया नहीं गया था। कम्पनी द्वारा अब तक कोई भर्ती नीति प्रतिपादित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण आदि के लिए कोई कार्मिक नियमावली तैयार नहीं की थी। 2008–13 की अवधि में, कम्पनी द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी। इन त्रुटियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कम्पनी के कार्य–कलापों को प्रभावित किया।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

2.1.18 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबंधन का एक अस्त्र है जिसका उपयोग इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, प्रभावी रुप से एवं व्यवस्थित तरीके से हो रही है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंग के रूप में कुशल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) का प्रावधान निर्णय लेने तथा नियंत्रण को सुगम बनाने हेतु पूर्वापेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कुशल नियंत्रण हेतु कुशल एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का भी अस्तित्व होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में निम्न त्रुटियाँ पाईं:

- कम्पनी में एम0आई0एस0 विद्यमान नहीं था। कम्पनी के पास कोई भी परिचालन और कार्यान्वयन नियमावली नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रभावी अनुश्रवण के लिए जिला कल्याण कार्यालय द्वारा संवितरण, बकाया वसूली तथा वास्तविक वसूली से सम्बन्धित कोई आवधिक प्रतिवेदन/विवरण तैयार कर उच्च प्रबन्धन को भी नहीं भेजा गया;

- जिला कल्याण कार्यालय/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/जिला शिक्षा कार्यालय से निधि के संवितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु कम्पनी द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्षवार/योजना वार/जिला वार उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी आँकड़ों का संधारण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया था;

- मूलधन और ब्याज के रूप में देय तथा वसूली योग्य राशि का, ऋणी वार विवरण दर्शाने के लिए खाता–बही का न तो ठीक से संधारण किया गया था और न इन्हें अद्यतन किया गया था। ऋण की अदायगी में चूक करने वाले ऋणियों का डाटाबेस भी संधारण नहीं किया जा रहा था। इन आधारभूत अभिलेखों के अभाव में ऋण की वसूली पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं थी, जो तुच्छ वसूली प्रदर्शन से स्पष्ट है।

  प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आँकड़े/सूचना संकलन का काम कम्पनी द्वारा आरंभ किया गया था और जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर खातों को अद्यतन किया जाना था।

- वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की अवधि में केवल दो बोर्ड बैठक आयोजित की गई। अप्रैल 2006 से जून 2010 तक की अवधि में कम्पनी में निदेशक मंडल नहीं था। बोर्ड के गठन के बावजूद, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अन्तर्गत निर्धारित बोर्ड की बैठकों का आयोजन नहीं किया गया, जिसका परिणाम वार्षिक खातों को अंतिमीकृत नहीं होना, वार्षिक सामान्य बैठक के अभाव में वैधानिक विवरण दाखिल करने में विफलता, ऋण की निम्न वसूली/वसूली का अनुश्रवण न होने, आदि के रूप में हुआ।
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत वार्षिक विवरण[26] वित्तीय वर्ष 1997–98 से कम्पनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) को दायर नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप, कम्पनी रजिस्ट्रार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159, 166, 210 और 220 के अन्तर्गत दोष के लिए नोटिस भेजा (अक्टूबर 2009 और जून 2010) और कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा कम्पनी का नाम निष्क्रिय कम्पनियों की सूची (डॉरमेण्ट) में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त त्रुटियाँ कम्पनी में प्रचलित अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुश्रवण तंत्र को इंगित करती थी।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.19 कम्पनी में स्थापना के बाद से ही कोई पृथक् आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं किया गया था। कम्पनी में, सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) को लेखा को अद्यतन करने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने हेतु नियोजित किया गया था। खातों की आंतरिक लेखापरीक्षा 2010–11 तक की अवधि के लिए किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों पर कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी जिनमें खाता–बही तथा लाभार्थी–वार खातों का संधारण नहीं करना, लाभार्थियों को देय राशि की वसूली का अनुसरण नहीं करना, ऋण के अभिलेखों तथा ऋण की शर्तो का सत्यापन नहीं करना, इत्यादि शामिल थे।

प्रबन्धन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2013) कि प्राथमिकता के आधार पर लेखापरीक्षा के सुझाव के अनुसार आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र पर ध्यान दिया जाएगा।

निष्कर्ष

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण और वसूली के सम्बन्ध में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं था। विस्तृत योजना की तैयारी नहीं होने के परिणामस्वरुप लक्षित लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ से वंचित होना पड़ा और योजनाओं का तुच्छ कार्यान्वयन हुआ। कम्पनी के कामकाज के सम्बन्ध में सरकार की भूमिका त्रुटिपूर्ण थी जैसा कि निदेशक मंडल के गठन, मार्गदर्शिका तैयार करने और निर्देश जारी करने में विलम्ब से परिलक्षित होता है। कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था जैसा कि तुच्छ वसूली, विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से सम्बन्धित निधि की अप्रयुक्तता/कम उपयोग, निधि की अवरुद्धता एवं लेखाओं के

[26] बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि खाता, इत्यादि।

अन्तिमीकरण में विलम्ब के दृष्टांतों से देखा जा सकता है। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण थे जिनके कारण योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण/छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को वास्तव में संवितरित की गई थी और संवितरित निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा था जिसके लिए यह वितरित किया गया था।

लाभार्थियों से वसूली के अनुश्रवण के लिए प्रणाली संतोषजनक नहीं था क्योंकि मार्च 2013 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई कुल वसूली निराशाजनक थी। कम्पनी में मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मंडल की बैठक में प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया गया था जिसने कम्पनी के कामकाज को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया था। कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र त्रुटिपूर्ण था।

अनुशंसाएँ

- अपनी गतिविधियों की प्रकृति के कारण कम्पनी पर एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है और इसलिए अभीष्ट लाभार्थियों को छात्रवृत्ति/ऋण निधि के संवितरण और वसूली के लिए इसे एक रणनीतिक योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे निधि के समयबद्ध उपयोग और जिस उद्देश्य के लिए इसे प्राप्त किया है उसके अनुरूप इसकी उपयोगिता सुनिश्चित किया जा सके।

- कम्पनी को अनुवर्त्ती छात्रवृत्ति/ ऋण निधि को मुक्त करने से पहले जि0क0कार्या0/महाविद्यालयों/संस्थानों/लाभार्थियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र सुरक्षित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करना चाहिए; साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को संवितरित छात्रवृत्ति/ऋण निधि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे संवितरित किया गया था।

- वसूली तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कम्पनी को अपने लाभार्थियों के डाटा बेस को अद्यतन करने की आवश्यकता है और नियमित अंतराल पर लाभार्थियों से वसूली का कठोर अनुश्रवण तथा अनुसरण करने की आवश्यकता है।

- मानव–शक्ति की कमी को निदेशक मंडल की बैठक में प्रभावी ढंग से निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और कम्पनी की जिला स्तर पर संस्थापना सुनिश्चित किया जा सके।

- कम्पनी में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-II

2.2 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वित्त एवं वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा मार्च 1984 में की गई थी। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर सरकार/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के रा0अ0वि0वि0नि0 विभिन्न योजनाओं के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें जिला प्राधिकारी, अग्रणी बैंक तथा उद्योग एवं व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।

वार्षिक कार्य योजना

आवंटित निधि के विरुद्ध उद्देश्य पत्र के नियम एवं शर्तों के अनुपालन में कम्पनी की असफलता के कारण रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20 करोड़ की राशि वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी को संवितरण हेतु मुक्त नहीं की गई।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वसूली रा0अ0वि0वि0नि0 की देयता का उन्मोचन करने हेतु अपर्याप्त था। वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी ने अपनी निधि (अंश पूँजी) से ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान किया।

कम्पनी की ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

आवधिक ऋण योजना

कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2008–13 के दौरान ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया। सारण प्रमंडल में प्राप्त 361 आवेदनों में से 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जो चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमंडल में मूल 84 आवेदकों के नाम चयन हेतु कभी विचार नहीं किए गए। लाभार्थियों के 49 नमूना जाँच किये गए आय प्रमाण–पत्रों में 16, जारी करने वाले पदाधिकारी (अंचल कार्यालय) के अभिलेखों के अनुसार त्रुटिपूर्ण पाए गए। मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास वसूली योग्य कुल राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।

शिक्षा ऋण योजना

कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में ₹ 2.13 करोड़ प्राप्त किया जिसमें उपर्युक्त अवधि में ₹ 1.46 करोड़ का संवितरण किया गया। निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण इस योजना के अंतर्गत नए ऋण का संवितरण वर्ष 2009–10 में नहीं हो सका। निधि की उपलब्धता होने के बावजूद वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा ऋण का संवितरण नहीं किया गया।
शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण का पुनर्भुगतान का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो उनके पाठ्यक्रम पूर्ण होने और/अथवा स्वरोजगार की सूचना दी न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया।

माइक्रो क्रेडिट योजना

माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय साख/ट्रैक रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों के अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त की गई जिसमें

₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों के बाद भी वसूली नहीं जा सकी। माइक्रो क्रेडिट योजना कम्पनी द्वारा वर्ष 2009–10 से बंद कर दी गई।

छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास के अंतर्गत वित्तीय सहायता

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

वर्ष 2008–09 की अवधि के दौरान मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (केन्द्रीय) के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2011–12 से ₹ 14.01 करोड़ की राशि कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी।

कम्पनी ने वर्ष 2010–11 में चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया।

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा उन 456 छात्रों को ₹ 18.24 लाख की राशि मुक्त की गई जिनके विरुद्ध राशि पहले ही मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त कर दी गई थी। फलस्वरुप इस योजना के अंतर्गत अन्य योग्य विद्यार्थी लाभ लेने से वंचित रहे।

कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की अनुपलब्धि

विभाग द्वारा संस्थापित समिति द्वारा अनुश्रवण करने में असफलता के कारण वर्ष 2007-11 के दौरान प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में ₹ 3.69 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं हो सका जिसे अंततः कम्पनी द्वारा विभाग को लौटा दी गई।

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना

योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में कम्पनी ने केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा शेष ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षों से अधिक अप्रयुक्त रह गए। इस प्रकार, अभीष्ट लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित रहे।

मानव–शक्ति

कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कंपनी के कार्य प्रभावित हुए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

निधियों के संवितरण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। बाह्य स्रोत अभिकरण/संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की प्रणाली नहीं थी जिसके कारण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधि अधिक/दुबारा मुक्त हुआ।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषण तथा वसूली में कम्पनी का निष्पादन संतोषजनक नहीं था। कम्पनी द्वारा विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई थी। सरकार की भूमिका भी दोषपूर्ण थी क्योंकि इसने कोचिंग योजनाओं हेतु समिति के कार्यकलापों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दोषपूर्ण था। अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्यविधिक चूक थे। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं थी। लाभार्थियों से वसूली हेतु अनुसरण प्रणाली संतोषजनक नहीं था। आंतरिक नियंत्रण दोषपूर्ण था।

कम्पनी के लिए आवश्यक है : ऋण/छात्रवृत्ति निधि का संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु विस्तृत योजना विकसित करना, निधियों के समयबद्ध उपयोगिता के लिए एक प्रणाली विकसित करना, योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए डाटा बेस विकसित करना, वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना तथा आंतरिक नियंत्रण सुधारना।

परिचय

2.2.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत मार्च 1984 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन बिहार राज्य में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों[1] के आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से कमजोर तथा जरुरतमंद व्यक्तियों को ऋण अथवा अन्य तरीके से मदद, सहयोग, प्रोत्साहन, बढ़ावा, समन्वय, संगठित, विस्तार अथवा वित्तीय सहायता तथा सहयोग करने के लिए किया गया। कम्पनी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहन में कम्पनी विभिन्न सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों के जरिये अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण एवं सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (रा0अ0वि0वि0नि0[2]) की योजनाओं हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में भी कार्य करती है। 31 मार्च 2013 को कम्पनी का प्रदत्त पूँजी ₹ 33.79 करोड़ था।

कम्पनी द्वारा क्रियान्वित मुख्य योजनाओं में रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाएँ जैसे आवधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा माइक्रो क्रेडिट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय), मेधा सह आय छात्रवृत्ति, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) तथा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का अनुसरण भी किया ।

कम्पनी का प्रशासनिक विभाग विभिन्न योजनाओं के लिए दिशा–निर्देश तय करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यविधि तय करने, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को समय–समय पर अधिसूचित करने, रा0अ0वि0वि0नि0 से कम्पनी द्वारा लिए ऋण की गारंटी का विस्तार करने, कम्पनी को बजटीय सहायता देने, विभिन्न योजनाओं के लिए कम्पनी को उपलब्ध कराई गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र आदि माँगने के लिए उत्तरदायी है। रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाओं के संबंध में दिशा–निर्देश रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय किए जाते हैं। कम्पनी वर्णित मानदण्ड के आधार पर योग्य लाभार्थियों को चयन करने हेतु उत्तरदायी है तथा भौतिक सत्यापन के बाद लाभार्थियों का चयन एक समिति द्वारा होता है जिसमें जिला प्राधिकारियों, अग्रणी बैंक तथा उद्योग तथा व्यापार निदेशालय का प्रतिनिधित्व होता है।

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल में निहित है, जिसमें नौ निदेशक हैं। 31 मार्च 2013 को सात सरकारी निदेशक थे तथा दो गैर सरकारी निदेशक थे। प्रबंध निदेशक (प्र0नि0) मुख्य कार्यपालक होते हैं तथा कम्पनी के दिन–प्रतिदिन के कार्य संचालन में अन्य अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कम्पनी द्वारा नौ प्रमंडलों[3] में अपने क्षेत्र कार्यालयों के जरिये तथा जिला कल्याण कार्यालयों (जि0क0कार्या0[4]) की सहायता से होता है क्योंकि कम्पनी के पास जिला स्तरीय ढाँचा नहीं है।

कम्पनी के कार्य की समीक्षा 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में सम्मिलित था

[1] मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, जैन तथा बौद्ध।
[2] यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक तथा विकास के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
[3] भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, सारण तथा तिरहुत।
[4] अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत।

जिसपर लोक उपक्रमों की समिति द्वारा विचार–विमर्श होना बाकी था (सितम्बर-2013)।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्य–प्रणाली

2.2.2 वर्त्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी का "वित्तीय एवं वसूली क्रियाकलाप" शामिल है। प्रशासनिक विभाग के अभिलेख तथा कम्पनी का मुख्यालय के साथ ही इसके क्षेत्र कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा जून 2013 से अगस्त 2013 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई। राज्य के 38 जिलों में योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं जिसमें दस[5] जिलों को रैंडम नमूना आधार पर चयनित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से सरकार तथा प्रबन्धन को अवगत कराने हेतु 31 मार्च 2013 को एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु जिस कार्य पद्धतियों के मिश्रण को अपनाया गया उसमें अभिलेखों की जाँच, कम्पनी के प्रशासनिक विभाग, कम्पनी मुख्यालय तथा क्षेत्र कार्यालयों से संग्रहित साक्ष्यों का प्रलेखन तथा विश्लेषण, निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यसूची की समीक्षा, सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी दिशा–निर्देश तथा सूचना हेतु लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करना तथा प्रबन्धन से विचार–विमर्श सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार (प्रशासनिक विभाग)/कम्पनी को प्रतिवेदित किए गए (सितम्बर 2013)। निकास सम्मेलन का आयोजन 28 नवम्बर 2013 को हुआ जिसमें प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक शामिल थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि :

- योजनाओं के उचित एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु रा0अ0वि0वि0नि0 तथा राज्य सरकार द्वारा निधि के आवंटन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा रणनीतिक योजना/वार्षिक कार्य योजना तैयार की गयी;
- कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों का समयबद्ध तरीके से प्रभावी उपयोग किया गया;
- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने हेतु कुशल प्रणाली थी तथा कम्पनी के पास लाभार्थियों का डाटा–बेस मौजूद था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हुआ तथा विहित मानदण्डों के अनुसार वसूली की गई;
- सरकार/कम्पनी ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए प्रणाली तैयार किया; एवं
- कम्पनी के पास पर्याप्त मानव–शक्ति एवं कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि निर्धारण करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड थे :

[5] अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, पटना, समस्तीपुर, सारण तथा सिवान।

- ऋण/वित्तीय सहायता के संवितरण हेतु सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी दिशा–निर्देश;
- अभीष्ट लाभार्थियों के उत्थान हेतु राज्य/केन्द्र सरकार तथा रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय की गई नीति/रूपरेखा/मानदण्ड/दिशा–निर्देश;
- वित्तीय सहायता तथा ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण हेतु तय की गई कार्यविधि; एवं
- संवितरण उपरान्त अनुश्रवण तथा वसूली तंत्र हेतु निर्धारित कार्यविधि।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.5 लेखापरीक्षा परिणामों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

योजना

रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं होना

2.2.6 मेमोरेंडम ऑफ एसोशिएशन में वर्णित उद्देश्यों के पूरा करने के दृष्टिकोण से कम्पनी को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के केन्द्रीकरण के अनुसार योजना अथवा लक्ष्य तय करना तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु तृणमूल स्तरों से संग्रहित आवधिक आँकड़ों के आधार पर सुनियोजित कार्य योजना की तैयारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के पहचान के लिए रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य वितरण अभिकरण को उन क्षेत्रों में लाभार्थी पहचान शिविर लगाना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यकों की जनसंख्या ज्यादा हो तथा पहले से रा0अ0वि0वि0नि0 की योजनाओं का कार्यान्वयन न हुआ हो। हमने पाया कि कम्पनी ने न तो कोई रणनीतिक योजना तैयार की थी और न प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर अभीष्ट लाभार्थियों के डाटा–बेस का रख–रखाव किया था।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी के पास अपना जिला स्तरीय ढाँचा नहीं था तथा यह मानव–शक्ति की कमी एवं निधि की कमी झेल रहा था जिसके कारण रणनीतिक योजना की तैयारी नहीं हुई।

वार्षिक कार्य योजना (वा0का0यो0)

2.2.7 कम्पनी को आवश्यकता के आधार पर प्रक्षेत्रवार वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव जो त्रैमासिक लक्ष्यों में विभाजित हो, को विहित प्रपत्र में आने वाले वित्तीय वर्ष हेतु फरवरी/मार्च तक रा0अ0वि0वि0नि0 को भेजना होता है। विहित शर्तें[6] पूरी होने पर वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया जाता है तथा रा0अ0वि0वि0नि0 कम्पनी को अभिप्राय पत्र के प्रपत्र में औपचारिक संस्वीकृति जारी करता है।

हमने पाया कि वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य के प्रस्ताव, जो कि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा अनुमोदित किये गये थे तदर्थ आँकड़ों पर आधारित थे क्योंकि कम्पनी ने प्रखण्ड एवं जिला स्तरों पर अपने अभीष्ट लाभार्थियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण का आयोजन, आँकड़ों का संग्रहण नहीं किया था। वार्षिक

[6] आवंटित निधि के विरुद्ध सरकारी प्रत्याभूति की व्यवस्था, रा0अ0वि0वि0नि0 की अंश पूँजी में पर्याप्त योगदान तथा प्राप्त निधि का ससमय उपयोग।

आवंटन, निधि की वास्तविक प्राप्ति तथा इसके विरुद्ध उपयोगिता का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

तालिका सं0: 2.2.1

वार्षिक आवंटन, निधि की वास्तविक प्राप्ति तथा उसके उपयोग का विस्तृत विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आवंटन/लक्ष्य		संवितरण के लिए उपलब्ध निधि			उपयोगिता		वार्षिक कार्य योजना के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत	
	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियों के आलोक में आवंटन	कुल	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	(9) = कॉलम (7)÷ (2) × 100	(10)= कॉलम (8)÷(3) × 100
2008–09	3050	900	शून्य	900	900	1282	616.90	42.03	68.54
2009–10	4178	770	283.10	–	283.10	148	62.90	3.54	8.17
2010–11	4245	1584	220.20	789	1009.20	545	234.49	12.84	14.80
2011–12	2491	1619	774.71	438	1212.71	1154	603.60	46.33	37.25
2012–13	1868	1774	609.65	–	609.65	338	148.58	18.09	8.38
कुल	**15832**	**6647**		**2127**		**3467**	**1666.47**		

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

कम्पनी की संस्वीकृत ऋण की विमुक्ति की शर्तों को पूरा करने में असफल होने के कारण, रा0अ0वि0वि0नि0 ने 12365 लाभार्थियों हेतु ₹ 45.20 करोड़ विमुक्त नहीं किया

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–13 के दौरान वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्षित आवंटन के विरुद्ध भौतिक तथा वित्तीय संवितरण की उपलब्धि की प्रतिशतता का परास क्रमशः 3.54 से 46.33 तथा 8.17 से 68.54 के बीच था। हमने पाया कि अभिप्राय–पत्र के नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने में कम्पनी के असफल रहने के कारण वर्ष 2008–13 के दौरान कम्पनी को रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा ₹ 45.20[7] करोड़ की राशि विमुक्त नहीं की गई। इस प्रकार, लक्षित लाभार्थी[8] वर्ष 2008–13 की अवधि में रा0अ0वि0वि0नि0 के योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

निकास सम्मेलन में प्रबंधन/सरकार ने कहा (अक्टूबर 2013) कि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा तय शर्तों की पूर्ति नहीं होने के कारण निधि मुक्त नहीं की गई। रा0अ0वि0वि0नि0 ऋण के विरुद्ध सरकारी प्रत्याभूति की व्यवस्था करने में कम्पनी की असफलता के संबंध में यह कहा गया कि नीतिगत रूप से सरकार ने किसी कम्पनी को प्रत्याभूति विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

2.2.8 विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी को राज्य सरकार से बजटीय सहायता, रा0अ0वि0वि0नि0 से ऋण सहायता तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को आवंटित निधि के माध्यम से वित्त पोषण मिलता है। कम्पनी अपनी ऋण देने की

[7] ₹ 7.70 करोड़ 2009–10 के लिए, ₹ 7.95 करोड़ 2010–11 के लिए, ₹ 11.81 करोड़ 2011–12 के लिए तथा ₹ 17.74 करोड़ 2012–13 के लिए।

[8] वा0का0यो0 के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों की संख्या घटाव वैसे लाभार्थियों की संख्या जिनको ऋण संवितरण किया गया (15832–3467 = 12365)।

गतिविधियों से 2.5 प्रतिशत तक की ब्याज आय सृजित करती है। प्राप्तियों की वर्ष-वार स्थिति तथा भुगतान/संवितरण नीचे दर्शाया गया है :

तालिका सं0: 2.2.2

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड की वर्ष-वार प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ लाख में)

विवरण			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	कुल
प्राप्तियाँ	प्रारम्भिक शेष		–	978.08	966.10	3599.52	4359.80	
	रा0अ0वि0वि0नि0 से प्राप्त ऋण		900.00	–	789.00	438.00	.	2127.00
	केन्द्र सरकार	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)	648.08*	605.86	1596.22	2227.09	.	5077.25
		मेधा सह आय योजना	–	–	946.08	673.82	1196.28	2816.18
	राज्य सरकार	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)	205.96*	100.00	100.00	–	–	405.96
		मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना	200.00	100.00	–	–	–	300.00
		कोचिंग योजना	302.40*	100.00	65	–	–	467.40
		मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	–	–	–	–	1500.00	1500.00
		मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	–	–	–	–	500.00	500.00
		स्वामित्व अंशदान	50.00	–	2028.92	100.00	100.00	2278.92
		अनुदान	6.31	1.60	3.19	1.68	–	12.78
	वसूली		154.03	139.34	192.07	192.09	237.37	914.90
	कुल प्राप्तियाँ		2466.78	1046.80	5720.48	3632.68	3533.65	16400.39
भुगतान/संवितरण	ऋण (रा0अ0वि0वि0नि0)		616.90	62.90	234.49	603.60	148.58	1666.47
	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)		574.80	587.51	1320.54	1193.54	–	3676.39
	मेधा सह आय योजना		–	–	–	775.26	1659.47	2434.73
	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)		120.00	185.92	100.00	–	–	405.92
	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना		–	–	–	–	14.00	14.00
	कोचिंग योजना		–	97.85	–	–	–	97.85
	रा0अ0वि0वि0नि0 को भुगतान		177.00	124.60	1432.03[9]	300.00	225.15	2258.78
	कुल भुगतान		1488.70	1058.78	3087.06	2872.40	2047.20	10554.14
	अंत शेष		978.08	966.10	3599.52	4359.80	5846.25	

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

निम्नलिखित प्रेक्षण किए गए :

- कम्पनी का संवितरण क्रिया–कलाप मुख्यतः छात्रवृत्ति योजनाओं[10] के अंतर्गत निधियों के वितरण में केन्द्रित था जबकि उधार देने की गतिविधि मध्यम थी।
- वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान कम्पनी ने रा0अ0वि0वि0नि0 से ₹ 21.27 करोड़ प्राप्त किया जिसमें से ₹ 4.60 करोड़ का अभिलेखन में विलम्ब, ऋण की संस्वीकृति में विलम्ब आदि विभिन्न कारणों से मार्च 2013 तक संवितरण नहीं

* योजनाओं का प्रारम्भिक शेष या बिना खर्च किए गए शेष को मिलाकर।

[9] इसमें कम्पनी के अंश पूँजी से रा0अ0वि0वि0नि0 को भुगतान किया गया ₹ 12.99 करोड़ सम्मिलित है।

[10] मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय), मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य), मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना।

हो सका था। इसके अतिरिक्त, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (केन्द्रीय) के अंतर्गत ₹ 50.77 करोड़ प्राप्त हुआ जिसमें मार्च 2012 तक ₹ 36.76 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ₹ 14.01 करोड़ अप्रयुक्त रह गए जैसा कि कंडिका 2.2.15 में उल्लेख किया गया है।

- वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी का वसूली निष्पादन निराशाजनक था तथा वसूली की गई राशि रा0अ0वि0वि0नि0 की देनदारियों को अदा करने हेतु अपर्याप्त थी। फलस्वरुप, रा0अ0वि0वि0नि0 की बकाया राशि ₹ 12.99 करोड़ का पुनर्भुगतान वर्ष 2010–11 के दौरान कम्पनी द्वारा अपनी निधि (अंश पूँजी) से किया गया। निम्न वसूली तथा रा0अ0वि0वि0नि0 ऋण के निम्न पुनर्भुगतान के कारण वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत संस्वीकृत ₹ 45.20 करोड़ रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा मुक्त नहीं की गई जिससे योजनाएँ प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुईं, जिसका उल्लेख कंडिका 2.2.10 से 2.2.12 में की गई है।

- इसके अतिरिक्त, पेशेवर ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से कम्पनी ने मई 1999 में ₹ 3.05 करोड़ की राशि प्राप्त की जिसमें ₹ 1.61 करोड़ की राशि कम्पनी में 10 वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रह गई जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के कर्तव्य के निर्वहन में कम्पनी का लापारवाह रवैया तथा प्रशासनिक विभाग की ओर से भी कमजोर नियंत्रण तंत्र प्रदर्शित हुआ।

- कम्पनी की गतिविधि का विस्तार वर्ष 2000 में संयुक्त बिहार राज्य के पुनर्गठन से पूर्व झारखण्ड के क्षेत्र में भी था। तथापि, पुनर्गठन के बाद भी कम्पनी की परिसंम्पत्ति तथा देयता इन दो राज्यों के बीच विभाजित नहीं की गई थीं (सितम्बर 2013)।

कम्पनी के ऋण देने तथा वसूली सम्बन्धित गतिविधियाँ

2.2.9 कम्पनी ने वर्ष 2008–13 की अवधि में आवधिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा रा0अ0वि0वि0नि0 के माइक्रो–क्रेडिट योजनाओं को कार्यान्वित किया था।

आवधिक ऋण योजना

2.2.10 आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत सहायता दुगुनी गरीबी रेखा[11] के नीचे रहने वाले अल्संख्यक समुदायों के लाभार्थियों हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से संभावित उद्यमों हेतु उपलब्ध था। आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत ₹ पाँच लाख मूल्य की परियोजनाएँ वित्त पोषण हेतु विचारनीय थी। रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक ऋण देय था तथा परियोजना की शेष लागत राज्य वितरण अभिकरण (रा0वि0अ0) तथा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाना था। प्रमंडलीय कार्यालयों के स्तर पर लाभार्थियों से आवेदन की प्राप्ति तथा इसकी संवीक्षा कर इसे राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति[12] के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी के प्रमण्डलीय कार्यालयों द्वारा अभिलेखन कार्य अच्छी तरह पूर्ण कर ऋण की संस्वीकृति हेतु कम्पनी मुख्यालय को भेज दी जाती है। आवंटित/लक्षित निधि ₹ 66.47 करोड़ के विरुद्ध

[11] ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹ 40000 तथा शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 55000।

[12] समिति के सदस्य: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या जिला विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी (सम्बन्धित जिला), सम्बन्धित जिला के अग्रणी बैंक का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी, सरकार द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के दो गैर सरकारी सदस्य, जिला उद्योग प्रर्वतन अधिकारी/श्रम प्रवर्त्तन अधिकारी।

कम्पनी ने ₹ 21.27 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें से वर्ष 2000–13 की अवधि में ₹ 16.66 करोड़ का उपयोग किया गया।

रा0अ0वि0वि0नि0 से निधि की प्राप्तियाँ तथा संवितरण नीचे दर्शाई गई हैं :

तालिका सं0: 2.2.3

वर्ष	संवितरण हेतु उपलब्ध निधि (₹ लाख में)			उपयोग
	प्रारम्भिक शेष	आवंटन के विरुद्ध प्राप्ति	कुल	वित्तीय (₹ लाख में)
2008–09	शून्य	900	900	616.90
2009–10	283.10	–	283.10	62.90
2010–11	220.20	789	1009.20	234.49
2011–12	774.71	438	1212.71	603.60
2012–13	609.11	–	609.11	148.58
		2127		1666.47

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

ऋण एवं उनकी प्राप्तियों के संवितरण में पाई गई त्रुटियों की समीक्षा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार[13] लाभार्थियों का चयन वर्ष में दो बार आवेदन आमंत्रित कर किया जाना था अर्थात् पहली बार जून माह में तथा दूसरी बार दिसम्बर माह में। लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा कम्पनी के मण्डल स्तर कार्यालयों में की जानी थी तथा इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों[14] के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :

- वर्ष 2008–13 की अवधि में आवेदन के आमंत्रण हेतु विज्ञापन केवल एक बार ही किया गया। इसके अतिरिक्त, आवश्यक 10 बैठकों के विरुद्ध वर्ष 2011–12 में चयन समिति की केवल एक बैठक हुई।

- आधारभूत अभिलेखों जैसे प्राप्त आवेदन, प्रक्रियागत एवं अस्वीकृत आवेदनों का रख–रखाव प्रमण्डल स्तर कार्यालयों में नहीं हुआ। लाभार्थियों को प्रदत्त आवेदन प्रपत्रों में न तो क्रम संख्या/विशिष्ट संख्या अंकित था और न ही प्राप्ति के समय ऐसी क्रम संख्या अथवा विशिष्ट संख्या आवंटित की गई थी।

पटना प्रमंडल के अन्तर्गत 84 मूल आवेदकों के नाम चयन हेतु विचार नहीं किए गए जो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को प्रदर्शित करता था

- वर्ष 2008–13 के दौरान, सारण प्रमण्डल कार्यालय में प्राप्त 361 आवेदन में 22 चयनित आवेदनों में आय प्रमाण–पत्र नहीं था जबकि यह चयन हेतु पूर्वापेक्षित था। पटना प्रमण्डल में यह पाया गया कि 889 चयनित लाभार्थियों में से 84 लाभार्थियों के नाम आवेदन पंजी में उस क्रम संख्या पर अंकित नाम से भिन्न था। फलस्वरुप, 84 मूल आवेदकों के नाम पर विचार नहीं किया गया। यह चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को प्रदर्शित करता था।

[13] पत्रांक 372 दिनांक 14 मार्च 2007 द्वारा जारी।
[14] भागलपुर, गया, दरभंगा, पटना तथा सारण।

राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन की अवहेलना कर पटना, सारण तथा गया में त्रुटिपूर्ण आय प्रमाण पत्र पर 16 लाभार्थियों को ऋण संवितरित किया गया

- राज्य सरकार के निर्देशानुसार [15] आवेदन पत्रों के साथ संलग्न आय प्रमाण–पत्र को जारी करने वाले पदाधिकारी से पत्राचार के माध्यम से कम्पनी द्वारा सत्यापित कराए जाने की आवश्यकता थी। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। आय प्रमाण–पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी के अभिलेखों के साथ संलग्न 49[16] आय प्रमाण–पत्रों की लेखापरीक्षा जाँच (अंचल कार्यालय) में पाया गया कि गया जिला में 10 लाभार्थियों में से चार, सारण जिला में दो में से एक तथा पटना जिला में 19 में से 11 के संबंध में लाभार्थियों के आय प्रमाण–पत्र अंचल कार्यालय (जारी करने वाले पदाधिकारी) के अभिलेखों के अनुसार ऋटिपूर्ण थे। सारण जिला में 10 में से 8 तथा दरभंगा जिला के 10 आय प्रमाण–पत्रों की स्थिति प्राप्त होना शेष था (अगस्त 2013)।

- पटना प्रमंडल में वर्ष 2008–13 की अवधि में 354 लाभार्थियों को संवितरित कुल ₹ 88.80 लाख ऋण में ₹ 17.23 लाख की राशि के 35 मामलों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि ऋण अनुबंध तथा भाराक्रांति बॉण्ड अच्छी तरह से भरे नहीं गए एवं लाभार्थी एवं गारंटी प्रदाता दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे, ऋण हेतु आदेश पत्र प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे, ऋण के वितरण से पूर्व 21 ऋणियों के मामले में स्थल सत्यापन नहीं किया गया था तथा सभी मामलों में ऋणियों का बैंक बचत खाता (पास बुक) की छाया प्रति प्राप्त नहीं की गई थी। ऋण संचिकाओं का रख–रखाव भी ठीक से नहीं किया गया था।

  प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि जिला स्तरीय चयन समिति की बैठके नियमित रुप से नहीं होतीं क्योंकि रा0अ0वि0वि0नि0 से निधि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रदान नहीं की जा रही थीं। इसके अतिरिक्त, मानव–शक्ति की कमी के कारण लाभार्थियों के आय प्रमाण–पत्र तथा आवासीय प्रमाण–पत्र का सत्यापन जारी करने वाले पदाधिकारी से नहीं हो सका था। तथापि प्रबंधन ने भविष्य में ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

आवधिक ऋण के अंतर्गत वसूली

2.2.11 वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के पाँच वर्षों में आवधिक ऋण के विरुद्ध की गई वसूली योग्य देय राशि तथा वास्तविक वसूली का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका सं0: 2.2.4

(₹ लाख में)

विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
बकाया देय राशि का प्रारम्भिक शेष	3735.99	3907.21	4163.33	4395.86	4642.53
वर्ष के दौरान वृद्धि	325.58	395.51	424.59	438.76	465.21
वसूली योग्य कुल देय राशि	**4061.57**	**4302.72**	**4587.92**	**4834.61**	**5107.74**
वर्ष के दौरान वास्तविक वसूली	154.03	139.34	192.07	192.09	237.37
वर्ष के दौरान देय राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता	47.31	35.23	45.24	43.78	51.02
वसूली योग्य कुल देय राशि के विरुद्ध वसूली की प्रतिशतता	3.79	3.24	4.19	3.97	4.65

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

[15] पत्रांक संख्या 372 दिनांक 14 मार्च 2007 द्वारा जारी।
[16] छपरा–10, दरभंगा–10, पटना–19 तथा गया–10।

वर्ष 2008–13 के दौरान आवधिक ऋण के कुल वसूलनीय राशि के विरुद्ध वसूली का परास 3.24 और 4.65 प्रतिशत रहा

ऊपर की तालिका में देखा जा सकता है कि मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा की गई वसूली निराशाजनक थी तथा इसका परास कुल वसूली योग्य राशि के 3.24 तथा 4.65 प्रतिशत के बीच था।

इसके अतिरिक्त हमने पाया कि :

लोक ऋण वसूली अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद 78 चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई

- सारण जिला में 78 दोषी ऋणियों में 34 ऋणियों ने आठ वर्षों से अधिक अवधि व्यपगत हो जाने के बाद भी ₹ 41.80 लाख के बकाया ऋण के विरुद्ध कोई किस्त जमा नहीं किया। हमने पाया कि कम्पनी ने देय राशि की वसूली के लिए लोक ऋण वसूली (पी0डी0आर.) अधिनियम 1914 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी पाँच ऋणियों के पता–ठिकाना से अनभिज्ञ था तथा इस प्रकार इन ऋणियों से ऋण के वसूली की संभावना काफी कम हो गई।
- वर्ष 2008–13 की अवधि में दरभंगा में 246 ऋणियों को संवितरित ₹ 1.11 करोड़ में, ₹ 17.42 लाख की 41 ऋणियों में संवितरित राशि के विरुद्ध संवितरण के एक वर्ष से अधिक समय व्यपगत होने के बाद भी कोई किस्त प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में पाई गई निम्न वसूली के कारणों में वसूली हेतु अपर्याप्त कार्रवाई अथवा अनुसरण, पी0डी0आर0 अधिनियम के अंतर्गत दोषी ऋणियों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं करना, उनके प्रत्येयता का सत्यापन किए बिना लाभार्थियों को ऋण का संवितरण आदि सम्मिलित है।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि मानव–शक्ति के अभाव में इसके मण्डल स्तर के कार्यालयों को सुदृढ़ नहीं किया जा सका। तथापि, लाभार्थियों से ऋण की देय राशि की वसूली हेतु सभी प्रयास किए जा रहे थे।

शिक्षा ऋण योजना

2.2.12 रा0अ0वि0वि0नि0 ने दोगुनी गरीबी रेखा[17] के नीचे आय वाले अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वर्ष 2003–04 में व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण योजना आरंभ किया। योजना निर्दिष्ट करता है कि आवधिक ऋण के अंतर्गत वार्षिक आवंटन का 10 प्रतिशत शैक्षणिक ऋण हेतु चिह्नित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम समाप्ति के ऋण स्थगन अवधि अर्थात् छः माह के उपरांत मूलधन तथा ब्याज अधिकतम 60 बराबर मासिक किस्त (ई0एम0आई0) में ऋणी द्वारा पुनर्भुगतान किया जाना था। कम्पनी ने ₹ 2.13 करोड़ की राशि प्राप्त किया जिसमें ₹ 1.46 करोड़ वर्ष 2008–13 की अवधि में संवितरित कर दी गई थी।

हमने पाया कि शैक्षणिक ऋण को वर्ष 2009–10 के दौरान संवितरित नहीं किया जा सका क्योंकि रा0अ0वि0वि0नि0 द्वारा निधि मुक्त नहीं की गई। तथापि, वर्ष 2011–12 के दौरान, योजना हेतु निधि की उपलब्धता के बावजूद (आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत आवंटन का 10 प्रतिशत) कम्पनी द्वारा संवितरण नहीं हुआ।

[17] ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹ 40000 तथा शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 55000।

त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण तंत्र के कारण ₹ 1.29 करोड़ का पुर्नभुगतान आरम्भ नहीं हुआ

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली प्रभावी रूप से नहीं की गई जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 37 तथा 65 लाभार्थी जिन्हें ₹ 34.06 लाख तथा ₹ 94.94 लाख का ऋण संस्वीकृत किया गया तथा अंतिम किस्त का भुगतान क्रमशः मार्च 2009 तथा दिसम्बर 2011 तक हुआ, ऐसे ऋण के संबंध में पुनर्भुगतान आरंभ नहीं हुआ था (अगस्त 2013)। लाभार्थियों ने कम्पनी को न तो अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति तथा/अथवा स्वरोजगार के बारे में सूचित किया न ही कम्पनी ने ऋणियों से इस पहलू को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो योजना के अनुश्रवण तथा प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी प्रणाली की असफलता को उजागर करती है।

प्रबंधन/सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि मानव–शक्ति के अभाव में शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की वसूली हेतु अधिसूचना समय पर जारी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि इस संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण की प्राप्ति के बाद अनुश्रवण तंत्र का सृजन किया जा रहा है तथा अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

माइक्रो क्रेडिट योजना

2.2.13 माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत, क्रेडिट का विस्तार स्वयंसेवी समूहों के सदस्यों, विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी झुग्गियों में रहने वाली वैसी अल्पसंख्यक महिलाओं, जो औपचारिक बैंकिंग क्रेडिट तथा रा0अ0वि0वि0नि0 कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाती हैं के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों में सबसे गरीब के लिए प्रति लाभार्थी ₹ 25,000 की अधिकतम माइक्रो क्रेडिट ऋण का लाभ विस्तारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी द्वारा चिह्नित गैर सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं को ग्रहण करने की आवश्यकता थी। माइक्रो क्रेडिट योजना के अंतर्गत, कम्पनी ने रा0अ0वि0वि0नि0 से वर्ष 2007 में ऋण के रुप में ₹ 48.21 लाख की राशि प्राप्त की।

गैर सरकारी संगठनों की विश्वसनीयता सत्यापित किए बिना निधि की विमुक्ति के फलस्वरुप ₹ 43.50 की वसूली नहीं हो सकी

हमने पाया कि कम्पनी ने वित्तीय विश्वसनीयता/ट्रैक रिकार्ड का सत्यापन किए बिना 305 लाभार्थियों के लिए तीन गैर सरकारी संगठनों[18] को उनके अनुरोध पर ₹ 48.21 लाख की राशि मुक्त किया। तथापि, इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा लाभार्थियों को संवितरित ₹ 48.21 लाख में ₹ 43.50 लाख की राशि चार वर्षों से अधिक में वसूली नहीं जा सकी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि यह योजना वर्ष 2009–10 से कम्पनी द्वारा बंद कर दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि तीनों गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध न्यायिक मुकदमा दायर किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय विश्वसनीयता सत्यापित किए बिना उन्हें निधि संवितरित कर दी गई जो कम्पनी के अनुश्रवण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है।

छात्रवृत्ति, कोचिंग तथा कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

2.2.14 रा0अ0वि0वि0नि0 की उधार देने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त कम्पनी केन्द्र/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना एवं सहायता की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी उत्तरदायी थी। संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

[18] ह्युमैन एडभांसमेंट सोसायटी, सहरसा, मानव विकास शिल्प कला केन्द्र, सारण, मे0 बुनियाद पटना।

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)

2.2.15 मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) को जून 2006 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले मेधावी छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ₹ दो लाख से अधिक न हो, को बेहतर अवसर प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम शुल्क/ट्युशन शुल्क तथा गुजारा भत्ता क्रमशः विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं के बैंक खाते तथा विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा होना था। इसके अतिरिक्त यदि योजना के अंतर्गत कोई विद्यार्थी विगत अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड पाने में असफल हो तो उसे योजना का लाभ बंद करने का प्रावधान है। वर्णित योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–13 की अवधि में कम्पनी ने केन्द्र सरकार से ₹ 50.74 करोड़ की राशि प्राप्त किया। प्राप्ति तथा उपयोगिता का वर्ष–वार ब्योरा नीचे दिया गया है :

तालिका सं0: 2.2.5

(₹ लाख में)

वर्ष	मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय)					
	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त निधि	संवितरण हेतु उपलब्ध निधि	संवितरित	अप्रयुक्त	उपलब्ध निधि के विरुद्ध अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
2008–09	2.81	645.27	648.08	574.80	73.28	11.31
2009–10	73.28	605.86	679.14	587.51	91.63	13.49
2010–11	91.63	1596.22	1687.85	1320.54	367.31	21.76
2011–12	367.31	2227.09	2594.40	1193.54	1400.86	54.00
2012–13	1400.86	–	1400.86	–	1400.86	100
कुल		**5074.44**		**3676.39**		

(स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 की अवधि में अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता का परास 11.31 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। इस योजना के अंतर्गत 2012–13 के दौरान कोई निधि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2013–14 से बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संवितरण प्रक्रिया को बदल दिया तथा निधि को सीधे जि0क0कार्या0 हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी द्वारा प्राप्त लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की प्रस्तुति पर भारत सरकार से कम्पनी द्वारा निधि की माँग की गई। निर्धारित समय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संवीक्षा करने हेतु उचित तंत्र के अभाव में कंपनी को संवीक्षा नहीं किए गए आवेदनों के आधार पर निधि की माँग करनी पड़ी। लाभार्थियों के संवीक्षा नहीं किए गए आवेदनों के आधार पर निधि की माँग के कारण लाभ के विस्तार हेतु अयोग्य पाए गए आवेदनों को बाद में अस्वीकृत कर दिए गए। इस प्रकार, सभी प्राप्त निधि का संवितरण नहीं हो सका जिसके फलस्वरुप ₹ 14.01 करोड़ की अप्रयुक्त निधि का संचयन हुआ।

महाविद्यालयों / संस्थानों की विश्वसनीयता का सत्यापन किए बिना चार अस्तित्वविहीन निजी महाविद्यालयों को ₹ 25.02 लाख संवितरित किए गए

- विद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाएँ, उनकी संबद्धता की स्थिति आदि से संबंधित जिला–वार डाटा बैंक के रख–रखाव हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। फलस्वरूप अस्तित्वहीन महाविद्यालयों / संस्थानों[19] को, संवितरण किया गया। कम्पनी ने अस्तित्व का सत्यापन व प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना, चार अस्तित्वहीन निजी महाविद्यालयों को वर्ष 2010–11 में ₹ 25.02 लाख की राशि संवितरित किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि कम्पनी ने उपरोक्त मामलों का पता लगा लिया था, तथापि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभी तक (2013) कोई प्रतिकारी उपाय नहीं किए गए थे।

  प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि संस्थानों की जाँच के लिए अब एक प्रणाली बनाई गई थी जिसके लिए विभिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची प्राप्त कर अनुशंसा के पहले आवेदनों की जाँच की जा रही थी। कम्पनी का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालयों / संस्थानों की जाँच पहले भी की गई थी। कम्पनी को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जि0क0कार्या0 के माध्यम से महाविद्यालय / संस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराने हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

- चूँकि लाभार्थियों की सूची की तैयारी का कार्य एवं उनको छात्रवृत्ति की स्वीकार्य राशि का कार्य कम्पनी द्वारा वाह्य स्रोत से करवाया गया, अतः कम्पनी को वास्तविक संवितरण से पहले इसका सत्यापन करने की आवश्यकता थी। वाह्य स्रोत के डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा तैयार की गई सूची (2008–09) में प्रत्येक विद्यार्थी की स्वीकार्य सीमा को सत्यापित करने में कम्पनी की असफलता के कारण 133 विद्यार्थियों हेतु ₹ 4.29 लाख की राशि का अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक संवितरण हुआ जिसमें 95 विद्यार्थियों से ₹ 2.20 लाख की वसूली होना अभी तक शेष था (अगस्त 2013)।

  प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

- कम्पनी के निर्देशानुसार, जि0क0कार्या0 को महाविद्यालय / संस्थाओं को दो भिन्न रेखांकित चेक देना था, एक ट्युशन शुल्क हेतु तथा दुसरा गुजारा भत्ता के लिए (छात्र–वार)। हमने पाया कि आठ जि0क0कार्या0[20] ने कम्पनी के दिशा–निर्देश के उल्लंघन में कॉलेज / संस्थाओं को ट्युशन शुल्क तथा गुजारा भत्ता के लिए ₹ 16 करोड़ की राशि का समेकित चेक मुक्त किया। इसके अलावा, कम्पनी / जि0क0कार्या0 इन महाविद्यालय / संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में भी असफल रहा। इसके कारण, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि अभीष्ट लाभार्थी को वास्तव में लाभ मिला अथवा यह महाविद्यालय / संस्थाओं में ही पड़ा रहा।

- जि0क0कार्या0 सीवान ने महाविद्यालय / संस्थान के माध्यम से लाभार्थियों को गुजारा भत्ता संवितरण करने के बजाय, दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में, वर्ष 2010–12 की अवधि के दौरान, 1337 विद्यार्थियों को सीधे ₹ 31.35 लाख की राशि का गुजारा भत्ता संवितरित किया। इसी प्रकार, उक्त दिशा–निर्देश के उल्लंघन में जि0क0कार्या0, समस्तीपुर ने विद्यार्थियों को संवितरण हेतु गुजारा

[19] 1. अन्तर्राष्ट्रीय पारा मेडिकल संस्थान बेली रोड, राजा बाजार, 2. आर0एल0एस0 महाविद्यालय, बेली रोड, राजा बाजार, 3. रहमत लतीफ शाह महाविद्यालय, बेली रोड, राजा बाजार, 4. अल शाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेली रोड, राजा बाजार (स्रोतः कम्पनी का प्रतिवेदन)।

[20] बक्सार, भोजपुर, दरभंगा, गया, पटना, सिवान, सारण तथा समस्तीपुर।

भत्ता से संबंधित ₹ 28.89 लाख का चेक प्रखण्ड विकास कार्यालयों को भेजा। हमने पाया कि प्रखण्ड विकास कार्यालयों द्वारा वास्तविक संवितरणों के संबंध में न तो कोई पुष्टिकरण न ही कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इस तरह ₹ 28.89 लाख का संवितरण सत्यापित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि यह जि0क0कार्या0 की असफलता है जिन्होंने कम्पनी के निर्देशों का पालन नहीं किया तथा प्रखंड विकास कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिप्राप्त नहीं किया। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के कार्यान्वयन हेतु कम्पनी स्वयं कार्यान्वयन अभिकरण थी, तथा उसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार गुजारा भत्ता का संवितरण हुआ था।

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य)

2.2.16 वर्ष 2007–08 में मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया ताकि उच्च शिक्षा हेतु कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ मैट्रिक/इण्टरमीडियट परीक्षा पास करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 4000 राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। योजना हेतु योग्यता मानदण्ड तथा संवितरण तंत्र मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) हेतु निर्धारित मानदण्ड के समान था तथा छात्रवृत्ति राशि को विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से संवितरित किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत ₹ 4.06 करोड़ वर्ष 2008–11 की अवधि में संवितरित की गई।

इसके अतिरिक्त, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत लाभ लेने वाले छात्र को इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

आँकड़ों के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण 18.24 लाख वैसे 456 विद्यार्थियों को मुक्त किया गया जो मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अन्तर्गत पहले ही छात्रवृत्ति का लाभ ले चुके थे

नमूना जाँच किए 10 जिलों में हमने पाया कि मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान 2714 छात्रों हेतु ₹ 1.09 करोड़ मुक्त की गई। नौ जिलों के छात्रों के नामों की सूची की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 456 वैसे विद्यार्थियों को ₹ 18.24 लाख[21] मुक्त की गई जिनके विरुद्ध निधि पहले ही मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत मुक्त की जा चुकी थी। इस प्रकार, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (राज्य) के अंतर्गत निधि मुक्त करने से पहले कम्पनी मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय) के अंतर्गत 456 विद्यार्थियों को पहले ही किए गए संवितरण का सत्यापन करने में असफल रही फलस्वरुप अन्य योग्य विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने से वंचित रह गए।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कोई नियंत्रण प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि अन्य योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों की पहचान हेतु कम्पनी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा कोई तंत्र अथवा सॉफ्टवेयर प्रदान नहीं किया गया था। कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों छात्रवृत्ति योजनाएँ कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की गईं थी तथा इस प्रकार कम्पनी द्वारा संवितरण के ब्योरे से नियंत्रण लागू किया जा सकता था। दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत दोहरे लाभ प्राप्त करने से बचने हेतु सत्यापन की प्रणाली विकसित करनी चाहिए थी।

[21] अररियाः 16, भागलपुरः 38, भोजपुरः 03, दरभंगाः 19, गयाः 181, पटनाः 133, सारणः 37, समस्तीपुरः 28, सिवानः 01, कुल 456 विद्यार्थी × ₹ 4000 = ₹ 18.24 लाख।

कोचिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होना

2.2.17 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मार्च 2007 में एक कोचिंग योजना आरंभ की गई। योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु प्रशासनिक विभाग ने एक समिति[22] का गठन किया था जिसे महीने के अन्तिम सप्ताह के अन्त में निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करना था जिसमें योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों तथा कोचिंग संस्थानों का चयन का भार विभाग द्वारा गठित समिति पर था। इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष योग्य विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए समिति को समय पर तथा पर्याप्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी ताकि योजना के अंतर्गत उद्देश्यों के लिए मुक्त राशि का उपयोग किया जा सके।

योजना के लिए प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ में केवल ₹ 0.98 करोड़ का उपयोग किया गया।

हमने पाया कि केवल मार्च 2007–08 तथा 2009–10 में 2661 विद्यार्थियों को कोचिंग दी गई, परिणामस्वरुप वर्ष 2007–11 के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त ₹ 4.67 करोड़ की राशि में केवल ₹ 0.98 करोड़ का उपयोग किया गया तथा ₹ 3.69 करोड़ की शेष अप्रयुक्त राशि को जनवरी 2013 में विभाग को कम्पनी द्वारा वापस कर दी गई।

इस प्रकार, विभाग द्वारा गठित समिति योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण प्रभावी रूप से करने में असफल रही क्योंकि विभाग को कार्यान्वयन की स्थिति या निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई। संस्थानों का भुगतान कम्पनी द्वारा रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने योजना को जारी रखने हेतु मामले का अनुसरण नहीं किया। इस प्रकार, योजना के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तथा इसे वर्ष 2011–12 में बंद कर दिया गया।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि वर्ष 2012–13 से राज्य सरकार ने योजना हेतु 'मौलाना मजहरुल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय' पटना को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था। तथापि, तथ्य यह है कि ₹ 3.69 करोड़ व्यर्थ पड़े रहे। फलस्वरुप योजना का वांछित लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुँचाया जा सका।

मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना

2.2.18 मेधा सह आय छात्रवृत्ति योजना को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया (जून 2007) जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन तथा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि वे व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम करने में सक्षम हों। अंतर स्नातक तथा परा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कन्या विद्यार्थियों हेतु 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति आरक्षित रखा जाना था। इस योजना के अंतर्गत अनुवर्त्ती वर्षों में छात्रवृत्ति जारी रखना गत वर्ष के पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक समाप्ति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर निर्भर था। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा इसे कम्पनी को सौपी गई थी (जून 2010)। वर्ष–वार लक्ष्य तथा उपलब्धि इस प्रकार है :

[22] तीन उपसचिव–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य हज समिति, पटना के कार्यपालक अधिकारी, उपसचिव, अल्पसंख्यक आयोग, बिहार, पटना, प्रबन्ध निदेशक, वि0रा0अ0वि0नि0लि0।

तालिका सं0 : 2.2.6

वर्ष	लाभार्थियों की लक्षित संख्या (नए)	संस्वीकृत राशि[23] (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों की उपलब्धि संख्या में			संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
			नए	नवीकरण	कुल	
2010–11	1458	9.46	1458	1661	3119	9.46
2011–12	1458	6.74	1457	1950	3407	6.47
2012–13	4353	11.96	4555[24]	1478	6033	16.59
कुल	**7269**	**28.16**	**7470**	**5089**	**12559**	**32.79**

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

हमने पाया कि :

- वर्ष 2010–13 की अवधि में प्राप्त ₹ 28.16 करोड़ की राशि में कम्पनी ने दिसम्बर 2013 तक कुल ₹ 32.79 करोड़ संवितरित किया था जिसमें ₹ 4.63 करोड़ कम्पनी द्वारा अन्य योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि से संवितरित की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला उम्मीदवारों की संख्या का परास 8.98 से 17.77 प्रतिशत के बीच था।
- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने हेतु मेधा सूची कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
- विहित दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में कम्पनी ने गत वर्षों में संवितरित छात्रवृत्ति की निधि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना अनुवर्ती वर्षों के लिए छात्रवृत्ति निधि मुक्त किया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2013) कि कम्पनी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। कम्पनी के उत्तर से सिद्ध हुआ कि दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का निधि की मुक्ति से पहले पालन नहीं किया जा रहा था।

मुख्य मंत्री श्रम शक्ति योजना (मु0मं0श्र0श0यो0)

2.2.19 मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना को 18 से 45 वर्षों के आयु वर्ग वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों के उत्थान हेतु वर्ष 2008–09 में आरंभ किया गया जिससे उन्हे कौशल विकास हेतु विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके और वे स्वरोजगार हेतु सक्षम हों। हमने पाया कि विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार व्यक्तियों को विभिन्न व्यापारों के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी 2009 में एक विज्ञापन जारी किया। प्राप्त 3453 आवेदनों में 2921 लाभार्थी प्रशिक्षण हेतु योग्य पाए गए।

[23] सांस्वीकृत तथा संवितरित राशि नए तथा नवीकृत लाभार्थियों के लिए था।

[24] वर्ष 2012–13 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत 202 अतिरिक्त लाभार्थी। यद्यपि दिसम्बर 2013 तक कम्पनी द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त नहीं की गई।

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त ₹ तीन करोड़ में से केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया गया

कम्पनी ने राज्य सरकार से वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान क्रमशः ₹ दो करोड़ तथा ₹ एक करोड़ का अनुदान प्राप्त किया था। प्राप्त ₹ तीन करोड़ में वर्ष 2012–13 के दौरान कम्पनी ने सी0आइ0पी0ई0टी0[25], हाजीपुर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में केवल ₹ 14 लाख का उपयोग किया तथा उपरोक्त योग्य लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम्पनी द्वारा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 2.86 करोड़ चार वर्षो से अधिक समय के लिए अनुपयोगी रहे। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने का वांछित लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाया।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2013) कि दिशा–निर्देशों के अभाव में निधि का उपयोग वर्ष 2012 तक नहीं हो सका। इसके बाद योजना का प्रभावी तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु, सी0आई0पी0ई0टी0 तथा रेमण्ड को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चुना गया।

मानव–शक्ति

2.2.20 कम्पनी में मानव–शक्ति का अभाव था। 73 व्यक्तियों के संस्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध मार्च 2013 को वास्तविक कार्यबल केवल 31 था जो 58 प्रतिशत की कमी को प्रदर्शित करता है। मानव–शक्ति की कमी के कारण कम्पनी जिला स्तरीय ढाँचा स्थापित करने की स्थिति मे नहीं था। मानव–शक्ति की कमी का मामला कम्पनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा प्रभावी रूप से सुलझाया नहीं गया। कम्पनी द्वारा अब तक कोई भर्ती नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण आदि के लिए कोई कार्मिक नियमावली तैयार नहीं किया था। वर्ष 2008–13 की अवधि के दौरान, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा कर्मचारियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी। इन त्रुटियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कम्पनी के कार्य को प्रभावित किया ।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

2.2.21 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन का एक अस्त्र है जिसका उपयोग इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है कि प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से एवं व्यवस्थित तरीके से हो रही है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में कुशल प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रावधान निर्णय लेने तथा नियंत्रण को सुगम बनाने हेतु पूर्वापेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अच्छे नियंत्रण हेतु कुशल एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध का भी अस्तित्व होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में निम्न त्रुटियाँ पायी :

- कम्पनी के पास कोई परिचालन तथा कार्यान्वयन नियमावली नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रभावी अनुश्रवण के लिए जि0क0कार्या0/प्रमंडल द्वारा संवितरण से सम्बन्धित कोई आवधिक प्रतिवेदन/विवरण तैयार नहीं किया गया तथा उच्च प्रबन्धन को भी नहीं भेजा गया जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कम्पनी में कोई प्रबन्ध सूचना प्रणाली मौजूद नहीं था।

- जि0क0कार्या0/जि0शि0कार्या0[26] से निधि के संवितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के अनुश्रवण हेतु कम्पनी द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष–वार/योजना–वार/जिला–वार प्राप्त होने

[25] सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, हाजीपुर।
[26] जिला कल्याण कार्यालय (जि0क0कार्या0), अतिरिक्त निदेशक सामाजिक सुरक्षा (अति0नि0सा0सु0)।

वाली उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधी आँकड़ों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

- बाह्य स्रोत एजेंसी/संविदा कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई योग्य विद्यार्थियों की सूची के सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं थी।
- कम्पनी का लेखा वर्ष 2011–12 से बकाया था। बकाया का मुख्य कारण वर्ष 1984–85 से 1998–99 के लेखाओं का विलम्ब से तैयार करना था जो वर्ष 2001 से आरंभ हुआ।
- कम्पनी वर्ष 2007–08 से 2009–10 में कम्पनी निबन्धक को वार्षिक विवरणी जमा करने में असफल रहा, फलस्वरुप कम्पनी मामलों के मंत्रालय से जारी दोषी कम्पनियों की सूची में इसे सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त वर्णित त्रुटियाँ कम्पनी में विद्यमान निम्न आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र की प्रदर्शक थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.22 कम्पनी में कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं की गई। सनदी लेखापालों को लेखा को अद्यतन करने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य पूरा करने हेतु नियोजित किया गया था। वर्ष 2010–11 तक के लेखाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा चुका था। आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। इसमें लाभार्थियों से देय राशि की वसूली का अनुसरण नहीं होना, ऋण अभिलेखों का सत्यापन नहीं होना, इत्यादि था।

निष्कर्ष

कम्पनी की वित्त पोषण तथा वसूली गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं था। अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण/छात्रवृत्ति के संवितरण तथा इसकी वसूली रणनीति कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई। फलस्वरुप, यह राज्य में अभीष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य में असफल रहा। कम्पनी के कार्य में सरकार की भूमिका दोषपूर्ण थी। इसके अतिरिक्त कोचिंग योजना के अनुश्रवण के लिए गठित चयन समिति के निष्पादन पर विभाग का अल्प नियंत्रण था। विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभों को अभीष्ट लाभार्थियों तक अच्छी तरह नहीं पहुँचाया गया।

प्रभावी तथा समय पर निधि का उपयोग तथा जिस उद्देश्य के लिए निधि की प्राप्ति हुई है उसी उद्देश्य में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के पास कोई प्रणाली नहीं थी। विभिन्न ऋण/छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित निम्न वसूली तथा निधि की उपयोगिता नहीं/कम होने के मामले पाए गए। यह कम्पनी के दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का प्रदर्शक है।

अभीष्ट लाभार्थियों की पहचान तथा वित्तीय सहायता के संवितरण में कार्यविधिक त्रुटियाँ थीं। इसके अतिरिक्त, कोई प्रणाली नहीं थी जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऋण/छात्रवृत्ति निधि को वास्तव में लाभार्थियों को

संवितरित किया गया तथा इसे उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा था जिसके लिए यह संवितरित हुआ। लाभार्थियों से वसूली की अनुवर्त्ती कार्रवाई प्रणाली भी संतोषजनक नहीं थी।

कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण कई क्षेत्रों में दोषपूर्ण था।

अनुशंसाएँ

- कम्पनी को अभीष्ट लाभार्थियों को ऋण/छात्रवृत्ति के संवितरण तथा इसकी वसूली हेतु एक विस्तृत योजना विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा निधि का उपयोग समयबद्ध तरीके से किया जाय तथा उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए यह प्राप्त किया गया;

- योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए डाटा बेस तैयार करना चाहिए। कम्पनी को अभीष्ट समूह के उत्थान के अपने उद्देश्य की उपलब्धि तथा अन्य समाजिक आर्थिक पहलुओं का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है;

- कम्पनी को अनुवर्त्ती छात्रवृत्ति/ऋण निधि को मुक्त करने से पहले जि0क0कार्या0/महाविद्यालयों/संस्थानों/लाभार्थियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली विकसित करना चाहिए साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थियों को संवितरित छात्रवृत्ति/ऋण निधि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे संवितरित किया गया;

- वसूली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए; तथा

- कम्पनी में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र को सरल, प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए।